प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण प्रारूप 2022

केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग

भारतीय जनता पार्टी

प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण प्रारूप 2022

भाजपा

प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण प्रारूप 2022

केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग

भारतीय जनता पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय कक्ष सं. 352
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23500000, फैक्स : 011-23500190
E-mail: training@bjp.email URL: http://library.bjp.org

प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण प्रारूप 2022

प्रकाशन: प्रथम
वर्ष: 2022

प्रकाशक एवं मुद्रक
भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली-110002

ISBN:978-93-95231-03-9

सर्वाधिकार सुरक्षित
© **भारतीय जनता पार्टी**

प्राक्कथन

कार्यकर्ताओं का निरंतर प्रशिक्षण जनसंघ के समय से ही भाजपा के लिए महत्त्वपूर्ण और आवश्यक अंग रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान भाजपा ने श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष को 'दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान' के रूप में मनाकर प्रशिक्षण को प्रमुखता देने का विनिश्चय किया था। विगत 7 वर्षों की अवधि में अर्थात् सन् 2015 से 2022 तक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रशिक्षण विभाग ने मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए बढ़ी संख्या में राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विभागों, मोर्चों और कार्य योजनाओं का प्रशिक्षण भी सम्पूर्ण देश में आयोजित किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निस्संदेह दुनिया में कहीं भी आयोजित कार्यक्रमों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यापक राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह उस विश्वास के साथ समन्वित है जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है। इस व्यापक विश्वास के परिणामस्वरूप, विश्व में सर्वाधिक सदस्यता के आधार पर भाजपा भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है। इतने विशाल जनादेश के साथ, अब भाजपा का भारतीय राजनीतिक प्रणाली में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2014 और 2019 के आम चुनावों के अतिरिक्त, हमने लगभग आधे भारतीय राज्यों में विधानसभा चुनाव भी जीते हैं और पार्टी लगातार प्रगति कर रही है।

इस विजयशाली विस्तार को ध्यान में रखते हुए क्षमता निर्माण और आगामी स्तर के नेतृत्व की तैयारी अत्यधिक महत्त्व रखती है। हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हमारी कार्य पद्धति का एक मुख्य

बिन्दु है। चूंकि भाजपा एक विचारधारा से प्रेरित पार्टी है, इसलिए हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच हमारे राजनीतिक दर्शन और निष्पक्षता की सूझ-बूझ का विकास करने के लिए व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना रहा है। भाजपा भी यह मानती है कि निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता को समाज में विद्यमान चुनौतियों और अवसरों को समझना चाहिए और एक निष्पक्षपातपूर्ण और सभी को साथ लेकर चलने वाली रीति-नीति से समाज की सेवा करने के लिए बेहतर स्थिति में होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा प्रयास रहा है कि जन सेवा में अधिक क्रियाशील होने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने और अपनी दक्षताओं को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षणों के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। चूंकि हम केंद्र और कई राज्यों में सरकार में भी हैं, इसलिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी सरकार की उपलब्धियों के बारे में अद्यतन होना चाहिए, जिससे वे जनता तक पहुँच सकें, भ्रामक सूचनाओं को दूर कर सकें और सरकार की उपलब्धियों को सही ढंग से पहुँचा सकें।

इन प्रशिक्षणों का आयोजन करके, हम न केवल जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, बल्कि हम ऐसे प्रशिक्षित राजनीतिक कार्यकर्ता भी तैयार करते हैं जो लोगों की सेवा करने, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ती करने व समाधान करने के लिए पूर्णरूप से उन्मुख हों। दिसंबर 2019 से 2022 तक कठिन और चुनौतीपूर्ण कोरोना समय के दौरान भी भाजपा अपने उद्देश्य से नहीं भटकी और सभी स्तरों पर सदस्यों को प्रशिक्षित करने के अपने संकल्प पर अडिग रही। यद्यपि जब कोरोना वायरस अपने चरम पर था, तब भी बीजेपी ऑनलाइन और ई-ट्रेनिंग, ई-चिंतन शिवरों के साथ-साथ अन्य गतिविधियों का आयोजन कर रही थी। जैसे ही कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजन सुलभ

हुआ, देश भर में एक निश्चित समय सीमा में मंडल और जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संपन्न किया गया। अब सम्पूर्ण देश में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित किए जाने वाले 13 सत्रों में देश भर के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2 जून से 4 जून 2022 तक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहले ही आयोजित किया जा चुका है।

राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शिका में कुल 13 विषयों को सम्मिलित किया गया है। पहले पाँच वैचारिक विषय हैं; अगले पाँच भाजपा सरकार और समकालीन राजनीतिक विषय और उपलब्धियाँ हैं; और अंतिम तीन विषय तकनीकी प्रकृति के हैं, जो कार्यकर्ताओं को उचित निर्वाचन प्रबंधन में जुटने और उनको मीडिया और सोशल मीडिया कौशल में और सशक्त करने के लिए हैं। प्रत्येक राज्य अपनी पसंद के दो राज्य संबंधी विशिष्ट विषयों पर दो सत्रों के प्रारूप भी तैयार करेंगे।

हम आशा करते है कि ये प्रारूप और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के साथ (सत्रों के दौरान) हुए पारस्परिक विचार-विमर्श पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होंगे। जो कार्यकर्ता अधिक सीखने के इच्छुक हैं और अपने ज्ञान और कौशल को उच्च स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं, वे अपनी पसंद के विषयों पर अधिक विस्तृत साहित्य को उद्घृत करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते है। यह प्रारूप विषयों की एक बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा है और इसे इस स्वाध्याय प्रक्रिया में एक आरंभ मात्र मानना चाहिए।

विषय सूची

1. **एकात्म मानववाद** **12**
   - पृष्ठभूमि 12
   - एकात्म मानववाद क्या है? 13
   - 'एकात्म मानव' विचार की व्यावहारिकता 14
   - 'वाद' या 'दर्शन' 15
   - उपसंहार 16

2. **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद** **18**
   - भारत पर आर्यों का आक्रमण 21
   - राष्ट्र की आत्मा चिति 23
   - स्वस्थ समाज की शक्ति – 'विराट' 24
   - स्वराज्य एवं सुराज्य 24
   - विविधता में एकता 24

3. **विचार परिवार** **27**
   - हमारी कार्यप्रेरणा का आधार 27
   - विचार परिवार के कुछ संगठन 28
   - विचार परिवार में हमारा दायित्व
   - हमारी दृष्टि व भूमिका 29
   - सावधानी 29

4. **हमारी कार्य पद्धति** **30**
   - कार्यपद्धति के अंग 31
   - कार्यपद्धति के तत्व 32
   - कार्यपद्धति के सूत्र 34

5. **राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भाजपा का योगदान** **36**
राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में भाजपा का योगदान 36
लोकतंत्र के प्रति निष्ठा 37
सर्वपंथ समादर भाव 38
मूल्य आधारित राजनीति की स्थापना 38
दक्षिण बनाम वामपंथ की राजनीति से मुक्ति 39
राष्ट्र प्रथम की अवधारणा की स्थापना 39
वसुधैव कुटुंबकम् का उद्घोष 39
भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र 40
स्वदेशी एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण 40
सुशासन एवं विकास 40
अंत्योदय एवं गरीब कल्याण 40
संविधान की गरिमा बढ़ाई 41
राजनैतिक अस्पृश्यता दूर की 41
राजनीति में नई कार्य संस्कृति का उद्भव 42
सबका साथ–विकास–विश्वास–प्रयास 42
आधुनिक भारत का निर्माण 42
आत्मनिर्भर भारत 43

6. **मोदी सरकार की दूरगामी परिणाम वाली नीतियाँ** **44**
प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना 45
पीएलआई योजना 45
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता 45
डिजिटल कौशल 46
स्टार्टअप को प्रोत्साहन 46
आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 47
डिजिटल इंडिया मिशन 47

हरित हाइड्रोजन 48
देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा 48
वाहन कबाड़ नीति का शुभारंभ 48
रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती:
ग्रीन कॉरीडोर का निर्माण 49
'कृषि अवसंरचना कोष' 49
नई शिक्षा नीति, 2020 49
योग 50
अप्रासंगिक पुराने कानूनों की समाप्ति 50
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) 50
ड्रोन नियमावली 51
नमामि गंगे अभियान 51
प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल 51
एक देश, एक कर (जीएसटी सुधार) 52
इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 52
हर गाँव तक पहुँची बिजली 52
नीति आयोग 52
जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का नेतृत्व 53
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 53
रेरा (रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम) 54
भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर 54

7. **मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाएँ** **55**
योजना में सुधार- नीति आयोग 55
प्रधानमंत्री आवास योजना 56
स्वतंत्रता एवं समानता के विचार को बढ़ावा देना 57
उज्ज्वला योजना 58

शौचालय का निर्माण 58
गरीब कल्याण अन्न योजना 59
आयुष्मान भारत 59
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 59
जन धन योजना 60
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 60
कोई चोरी नहीं 60
सौभाग्य योजना 61
पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 61
स्वनिधि योजना 62
जन औषधि केंद्र 62
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 62
जननी सुरक्षा और मातृ वंदना योजना 63
जल जीवन मिशन 63
प्रधानमंत्री की बच्चों की कल्याण योजना 64
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) 64

8. **मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियाँ** **66**
किसान क्रेडिट कार्ड 66
फसल बीमा 67
स्वामीनाथन रिपोर्ट का कार्यान्वयन 67
किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) 68
ई-नाम मंडी 69
मृदा स्वास्थ्य (भू-स्वास्थ्य) 70
कृषि अवसंरचना कोष 70
उच्च तकनीकी कृषि नीति 72
किसान रेल 73
डीएपी-नीम लेपित यूरिया 74

नई तकनीक का प्रचार 74
किसान सिंचाई योजना 74
किसान मानधन योजना 75
एम.एस.पी. पर खरीद 76
स्वस्थ किसान स्वस्थ जन 77

9. **मोदी सरकार की विदेश निति** **79**
सकारात्मक दृष्टिकोण 79
कोविड महामारी 82
वैश्विक त्रासदियों में भारत 82
अन्य पहल 82
राष्ट्रीय सुरक्षा 83
प्रवासी भारतीय 84
पड़ोसी देशों में नई परियोजनाएँ 85
नई साझेदारी 85
भारत की बदली छवि 86
चुनौतियाँ 87

10. **हमारा रक्षा सामर्थ्य** **88**
सीमा प्रबंधन 88
समुद्री सुरक्षा 90
आंतरिक सुरक्षा 91
रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण 92
आत्मनिर्भर भारत अभियान 93
प्रौद्योगिकी विकास कोष 94
सामरिक हथियार 95
साइबर सुरक्षा 96
रक्षा निर्यात 96

शहीदों का सम्मान और प्रेरणा 96
11. **मीडिया प्रबंधन** **98**
प्रिन्ट मीडिया - कैसे बनाएँ प्रभावी प्रेस विज्ञप्ति 99
संवाददाता सम्मेलन-कब करें, कैसे करें 100
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - समाचार 'बाइट' 102
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - समाचार चैनलों में बहस 103
मीडिया में प्रभावशाली रहने के कुछ मार्गदर्शक तत्व 105
समाचार लेखन और संवाद में इन बातों का रखें ध्यान 107
12. **सोशल मीडिया का सही उपयोग** **110**
सोशल मीडिया - क्या और क्यों? 110
कुछ लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट 112
सोशल मीडिया एक मिश्रित संग्रहायक 113
सोशल मीडिया के नए नियम 114
नए नियमों के अधीन सोशल मीडिया से
संबंधित दिशा-निर्देश 115
डिजिटल मीडिया संबंधित आचार संहिता 116
डिजिटल/सोशल मीडिया-कुछ मूल बातें 118
सोशल मीडिया - क्या करें, क्या ना करें 118
कुछ सोशल मीडिया के विश्लेषण करने के माध्यम 126
13. **चुनाव प्रबंधन** **127**
कब शुरू करें? 128
विभिन्न समितियों का गठन 129
उम्मीदवार चयन और संबंधित कार्य 130
आधार का विस्तार 130
चुनाव के बाद 132

1. एकात्म मानववाद

पृष्ठभूमि :

1. आजादी के आन्दोलन के बाद भारतीय राजनैतिक नेतृत्व ने भारतीयता के विचार की वह धारा जिसका प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल, श्री अरविंद तथा महात्मा गाँधी करते थे, उसे उपेक्षित कर दिया।
2. पाश्चात्य विचार धारा जो व्यक्तिवाद (पूंजीवाद) समाजवाद, साम्यवाद, सेक्यूलरवाद आदि शब्दों में व्यक्त होती थी, भारत के राजनैतिक नेतृत्व का वैचारिक विमर्श भी इन्ही शब्दों के आधार पर होता था।
3. ये विचार भारतीय परिस्थिति व समाजिकता से असम्पृक्त थे। ये विदेशी वातावरण व इतिहास की उपज थे। इन्हें भारतीय समाज पर आरोपित किया जा रहा था। प्राचीन भारत की संस्कृति एवं विचार परम्परा का तिरस्कार कर, उसे पिछड़ी व प्रतिगामी करार दिया गया था।
4. भारतीय विचार के आग्रह एवं विदेशी आरोपण के विरोध में 'एकात्म मानववाद' की उत्पत्ति हुई। भारतीय जनसंघ के तत्कालीन महामंत्री पं. दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय विचार दर्शन की पाश्चात्य विचार परम्परा के समानांतर जो व्याख्या प्रस्तुत की वही एकात्म मानववाद है। इस संदर्भ में भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में दीनदयाल जी द्वारा प्रस्तुत 'सांस्कृतिक पुनरूत्थान' का प्रस्ताव तथा 1965 के विजयवाड़ा में स्वीकृत 'सिद्धात व नीति' प्रलेख तथा 1965 अप्रैल में दीनदयाल जी के मुम्बई में दिए गए चार भाषणों को पढ़ना चाहिए।

एकात्म मानववाद क्या है?

1. एकात्म मानववाद तत्वत: 'मानव' की परिभाषा करता है। पश्चिम के विचारकों ने मानव 'व्यक्ति' है या 'समाज' इस पर तीखी बहस की। जिनका कहना था कि 'मानव' व्यक्ति है, वे व्यक्तिवादी बन गये। इसी व्यक्तिवाद को कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद कहा। जिन विचारकों ने मानव को व्यक्ति मानने से इन्कार किया उनका दावा था मानव तो समाज है। वे समाजवादी कहलाये। मानव की इस कलहकारी व्याख्या के कारण कोई व्यक्तिवादी (पूंजीवादी) समाजवादी नहीं हो सकता तथा कोई समाजवादी (साम्यवादी) व्यक्तिवादी नहीं हो सकता।

2, पश्चिम के ये दोनों परस्पर विरोधी विचार, सेक्यूलर हैं यानी भौतिकतावादी हैं। ये दोनों ही मानव जीवन के अध्यात्म की उपेक्षा करते हैं, अध्यात्मिकता मानव जीवन की सच्चाई है। संवेदनशीलता एक आध्यात्मिक तत्व है। पश्चिम की विशेष परिस्थितियों में अनाध्यात्मिक एवं अनीश्वरवादी विचार 'चर्च बनाम राज्य' के संघर्ष का परिणाम था। इसी को सेक्यूलरिज्म कहा गया। यह भारत के लिये अप्रासंगिक था।

3. भारतीय समाज धर्म प्रधान है (रिलिजन या सम्प्रदाय नहीं) भारतीय संस्कृति भौतिकता व आध्यात्मिकता को परस्पर विरोधी नहीं वरन पूरक मानती है। 'मानव' तत्व में व्यक्ति व समाज समान रूप से निगडित हैं, व्यक्ति व समाज पृथक इकाइयाँ नहीं हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तथा बिना व्यक्ति के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

4. पश्चिम का विचार प्रकृति को भी मानव से पृथक मानता है। प्रकृति पर मानव की विजय का आह्वान करता है। परमात्मा के तो अस्तित्व

पर ही वह सवाल खड़े करता है। अतः पश्चिम का 'मानव' व्यक्ति बनाम समाज के साथ ही, प्रकृति बनाम मानव तथा परमात्मा बनाम मानव के भी समीकरण उत्पन्न करता है।

5. दीनदयाल जी निरूपित करते हैं की भारतीय विचार, व्यक्ति व समाज को पृथक एवं परस्पर विरोधी नहीं मानता है। न ही प्रकृति को मानव का शत्रु मानता है एवं न ही परमात्मा का निषेध करता है। वस्तुतः व्यक्ति, समाज, प्रकृति एवं परमात्मा की एकात्मता का नाम 'मानव' है। दीनदयाल जी ने इसे व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि व परमेष्ठी की एकात्मता बताया है।
6. 'एकात्म' उस इकाई को कहते हैं जिसे विभक्त नहीं किया जा सके। मानव भी ऐसी ही इकाई है जिसे बाँटा नहीं जा सकता। मानव न तो केवल व्यक्ति है न केवल समाज, वह स्वयं प्रकृति का भी अभिन्न अंग है तथा उसी में परमात्म तत्व भी है (अहं ब्रह्मास्मि)।
7. अतः न हम व्यक्तिवादी हैं, न समाजवादी तथा न ही केवल प्रकृतिवादी या परमात्मावादी हैं। इन चार तत्वों की एकात्मता को समझ कर ही हम 'मानव' के अस्तित्व को जान सकते हैं। कोई भी व्यवस्था जब मानव के हित का विचार करे तब इस मानव की सम्पूर्णता को समझ कर योजना बनाये।
8. भारत का यह वचार राजनीति में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए अतः दीनदयाल जी ने कहा हम 'एकात्म मानववादी' हैं।

'एकात्म मानव' विचार की व्यावहारिकता :

1. एकात्म मानव का अधिष्ठान 'धर्मराज्य' है। 'धर्मराज्य' का अर्थ है 'विधि का शासन'। विधियाँ ऐसी बननी चाहिये, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता व सृजनशीलता का सम्मान हो। सामाजिक दायित्व एवं मर्यादाओं का पालन हो। प्रकृति हमारी माँ है, इसका समुचित

समादर हो, पर्यावरण की उपेक्षा करने वाली विधियाँ वस्तुतः अमानवीय है। आध्यात्मिक सरोकारों को पुष्ट करने वाली विधि का नियमन होना चाहिए। यह 'धर्मराज्य' सम्प्रदाय निरपेक्ष होता है।

2. साधन सुविधाओं से संपन्न मानव सुखी होता है। अतः साधन सुविधाओं के उत्पादन में समाज के प्रत्येक घटक की भूमिका होनी चाहिए तथा प्रत्येक घटक के 'योगक्षेम' की सम्पूर्ति होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दीनदयाल जी ने 'अर्थायाम' तथा 'आर्थिक लोकतंत्र' की संकल्पना दी है 'जैसे राजनैतिक लोकतंत्र का पैमाना हर वयस्क को मताधिकार प्राप्त होना होता है वैसे ही आर्थिक लोकतंत्र में हर वयस्क का कार्यावसर प्राप्त होना चाहिए।' 'वस्तुतः निजिकरण एवं सरकारीकरण की प्रक्रियाएँ बेरोजगारी की जननी हैं।
3. आर्थिक व राजनैतिक सत्त का विकेन्द्रीकरण एवं स्वदेशी आयोजना से ही 'समतायुक्त एवं शोषण मुक्त' समाज की संरचना की जा सकती है।
4. आज हम विषमता-ग्रस्त एवं शोषण-युक्त अर्थरचना के शिकार हैं, अतः तात्कालिक आयोजना की प्राथमिकता है 'अन्त्योदय'। सर्वोदय की पूर्व शर्त है अन्त्योदय।
5. एकात्म मानव की परिस्थिति-निरपेक्ष आवश्यकता है 'धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष'। भारतीय समाजशास्त्र में इन्हें चतुःपुरूषार्थ कहा जाता है। इन चारों पुरूषार्थों की निष्पत्ति के लिए दीनदयाल जी ने विषद् व्याख्यायें की हैं। इसके लिये हमें उनके द्वारा व्याख्यायित 'एकात्म घन' का अध्ययन करना चाहिए।

एकात्म मानववाद-'वाद' या 'दर्शन' :

1. पश्चिमी विचारों की पृष्ठभूमि के कारण दीनदयाल जी ने इसे 'वाद'

कहा। क्योंकि तब 'वादों' की ही बहस थी। अब लगभग साठ साल गुजर चुके हैं, वादों की वैसी बहस अब नहीं है। वस्तुतः वादों के इतिहास के समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है। दोनों परस्पर विरोधी वादों से संसार अब ऊब चुका है, सभी वैकल्पिक तृतीय मार्ग की तलाश में हैं। अतः अब यदि हम इसे 'वाद' न भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। केवल यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि छठे दशक में जब दीनदयाल जी ने इसका विवेचन किया, तब इसे 'एकात्म मानववाद' कहा था।

2. वस्तुतः वह भारतीय विचार, जिसका एकात्मता-परक विवेचन दीनदयाल जी ने किया, वह किसी प्रतिक्रिया में उत्पन्न नहीं हुआ था। वह भारतीय ऋषियों की सकारात्मक साधना का परिणाम था। भारत में इस संदर्भ में 'दर्शन' परम्परा का विकास हुआ था। अतः आजकल हमारे अनेक वरिष्ठ जन इसे 'एकात्म मानवदर्शन' कहते हैं। इस विचार का यही समुचित नामकरण है। अतः हमें 'वाद' एवं 'दर्शन' के संदर्भ को समझना चाहिए। कोई 'एकात्म मानववाद' कहता है, तो वह ऐतिहासिक रूप से सही है। कोई 'एकात्म मानवदर्शन' कहता है तो वह भी वैचारिक रूप से सही है। हमें भारत की 'एकात्म दृष्टि' को समझना चाहिए।

उपसंहार :

1. इस विचार में से कई सामयिक विचार उत्पन्न हुये हैं, जिनको हम निम्न प्रकार से सूचीबद्ध कर सकते हैं :
   - भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद।
   - अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र व अन्त्योदय।
   - भारतीयकरण।

- धर्म-राज्य।
- जीवन का आधार संघर्ष नहीं स्पर्धा भी नहीं वरन् 'परस्पर-पूरकता व समन्वय'।
- सुख एकांगी नहीं वरन् सर्वांगपूर्ण अर्थात् शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा का एकात्म सुख।
- 'समग्रता' एकांगिता नहीं, व्यष्टि-समष्टि-सृष्टि व परमेष्ठी का समग्र व एकात्म विचार।
- तात्कालिक नहीं सर्वकालिक अवश्यकता चतु:पुरूषार्थ।

2. यह केवल राजनैतिक विचार नहीं, मानवता का समग्र विचार है। यह समाज के सभी क्षेत्रों में प्रतिबिंबित होना चाहिए, राजनीति में भी। शुभम्

2. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

भारतीय संस्कृति 'भूमि' को माता व 'जन' को संतान के रूप में देखती है। हम पहले ऐसे राष्ट्र हैं जिसकी कल्पना मातृ शक्ति के रूप में हुई। हमारे देश की राष्ट्र चेतना के विस्तार का विवरण हमारे पुराने साहित्यों में, वेदों में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में मिलेंगे। अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में 63 श्लोकों की एक मालिका है, जिसमें इस धरती के साथ हमारा संबंध क्या है, का पूर्ण विवरण है।

माता भूमिः पुत्रे अहं पृथिव्या!
अर्थात् पृथ्वी मां का स्वरूप है और मानव उसका पुत्र।

अथर्ववेद के श्लोकों में राष्ट्र का वर्णन इस प्रकार है:-

भद्र इछन्त ऋशयः स्वर्विदः।।
तपो दीक्षां उपसेदुः अग्रे रुं।
ततो राष्ट्र बलं ओजष्च जातम्।।
तदस्मै देवा उपसं नमन्तु।

अर्थात् आत्मज्ञाणी ऋषियों ने जगत का कल्याण करने की इच्छा से सृष्टि के प्रारंभ में जो दीक्षा लेकर किया, उससे राष्ट्र का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय बल और ओज भी प्रकट हुआ। इसलिए सब राष्ट्र के सामने नम्र होकर इसकी सेवा करें।

अथर्ववेद में विविधता को भी पहचाना गया। हमारे यहाँ भिन्न-भिन्न परंपराएँ हैं और भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं और भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं, और भिन्न-भिन्न जगह है, कहीं जंगल है, तो कहीं हिमआच्छादित पर्वत हैं। हमारे राष्ट्रवाद का मर्म - 'भारत माता की जय' है। वेदों के अलावा वाल्मीकि रामायण में भी राष्ट्र के प्रति गहरी आस्था प्रकट की गई है।

प्रसंग है-लंका विजय के बाद जब यह विषय आया कि क्यों न प्रभु राम अपनी सेना समेत वहीं रह जाएँ। तब सोने की लंका दुनिया की संपत्ति की राजधानी थी। लंका कोई गरीब राष्ट्र नहीं था। लेकिन भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात् हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। राष्ट्र की संकल्पना का यह पुरातन साहित्य विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा।

विष्णुपुराण में भी राष्ट्र की एक संकल्पना है,

''उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं,
वर्ष तद भारतं नाम भारती यत्र संततिः,''

अर्थात् हिमालय के दक्षिण की ओर, समुद्र के उत्तर की ओर यह एक सम्पूर्ण भारत राष्ट्र है। यह अभिकल्पना दो सौ साल की नहीं है। वेद व्यास जी ने इसे 5000 वर्ष पहले ही लिखा था। यह हमारी जीवंत धारा है। परंपराओं पद्धतियों और पूजा के माध्यम से, तीर्थयात्राओं के माध्यम से इस राष्ट्र के प्रति एक सम्पूर्ण पवित्रता का जागरण समाज ने किया। भारत की सांस्कृतिक एकता एवं तद्जनित राष्ट्रीयता, नकारात्मक नहीं वरन् विधायक है। आज भी किसी कर्मकांड या अनुष्ठान के लिए हम संकल्प लेते हैं तो भारत राष्ट्र का महात्म्य और भौगोलिक स्थिति का स्मरण जरूर करते हैं-

हरि ओम ..... वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविशांतितमे
कलियुग कलि प्रथम चरणे।
जम्बू द्वीपे भरत खण्ड भारत वर्षे आर्या वर्तान्तर्ग
देशैक पुण्यक्षेत्र षष्टि संवतसराणां.....।

अर्थात् जम्बूद्वीप बहुत ही विशाल भूभाग है, उसके दक्षिणार्द्ध में 6 विभागों वाला भारत खण्ड है उसके लगभग एक खण्ड में आर्यावर्त अथवा वर्तमान भारतवर्ष है। यही नहीं महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ

पूरे भारत का भौगोलिक परिचय दिग्विजय वर्णन, तीर्थयात्रा वर्णन एवं स्वयंवर वर्णन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। कोई भी अन्य सभ्यता या साहित्य अपने देश के बारे में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती।

हम अखंड भारत के उपासक हैं। दीनदयाल जी कहते हैं 'अखंड भारत हमारे लिये राजनैतिक नारा नहीं वरन् हमारी श्रद्धा का विषय है। बंगाल के प्रमुख साहित्यकार बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय अपने उपन्यास आनन्दमठ में सन् 1882 में जिस वन्दे मातरम् गीत को सम्मिलित किया था वह आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान देश का मुख्य गीत बन गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतमाता को चारभुजाधारी हिन्दू देवी के रूप में चित्रित किया जो केसरिया वस्त्र धारण किये है और अपने हाथ में पुस्तक, माला, श्वेत वस्त्र तथा धान की बाली लिये हुए है। मातृभूमि से अभिन्नता के इस भाव को स्वामी रामतीर्थ ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, ''मैं भारत हूँ। मेरा शरीर मानो उसकी भूमि है। मेरा सिर हिमालय है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मेरे केश हैं। राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल मानो मेरा हृदय है। पूर्व-पश्चिम दिशाएँ मेरी भुजाएँ हैं। मालाबार और कन्याकुमारी अन्तरीप मेरे दोनों पैर हैं। मैं भारत हूँ।'' यही देशभक्ति की उच्चतम धारणा है।

स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहा था–

> *"nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which in truth are but one, constitute this soul or spiritual principle. One lies in the past, one in the present. One is the possession in common of a rich legacy of memories; the other is present-day consent, the desire to live together, the will to perpetuate the value of the heritage that one has received in an undivided form."*

यानी राष्ट्र एक आत्मा है! एक आध्यात्मिक सिद्धांत है! वास्तव ये दोनों बातें एक ही हैं। जो आत्मा और आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन

करती हैं। एक हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, और दूसरा वर्तमान है। एक हमारी समृद्ध स्मृतियों की धरोहर है और दूसरा सह अस्तित्व और अखंडित विरासत के मूल्यों साथ रहने की इच्छाशक्ति की सहमति है।

इसके उलट पश्चिम में राष्ट्र की कल्पना पितृ शक्ति के रूप में है। पश्चिम के देशों में न तो ऐसी कोई संकल्पना है और इस प्रकार का कोई इतिहास नहीं है जिसके आधार पर हम अपने देश का विश्लेषण कर सकें। पश्चिम में राष्ट्र राज्य की परिकल्पना रही है और इस परिकल्पना का प्रारंभिक इतिहास ही विवादित रहा है क्योंकि इसके साथ एक सैद्धांतिक सवाल जुड़ा है - पहले अस्तित्व में कौन आया, देश या राष्ट्र राज्य? देश की संप्रभुता के लिए राष्ट्रवादी आंदोलनों की जो आवाजें उठी, उसी को पूरा करने के लिए राष्ट्र राज्य बनाया गया। यानी देश के भीतर ही कई देश।

अमेरिका एक राष्ट्र-राज्य है, लेकिन इसका इतिहास क्या है? ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में भी अगर राष्ट्र-राज्य की कल्पना है तो उसका क्या इतिहास है? जर्मनी का भी राष्ट्र-राज्य की संकल्पना है। इटली भी इसमें शामिल हैं पर चार-पाँच सौ साल पहले का इनका कोई ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं है। जबकि हमारे साहित्य और जीवन मूल्यों का इतिहास पाँच हजार साल से भी पुराना है। इसलिए भारत के राष्ट्रवाद के बारे में जो संकल्पना हमारी है उसका उदाहरण न अमेरिका हो सकता है, न इंग्लैंड हो सकता है, न जर्मनी हो सकता है, न इटली हो सकता है।

अंग्रेजों का दुष्प्रचार -''भारत पर आर्यों का आक्रमण''

इस पर डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है-

"The language in which reference to the seven rivers is made in the Rig Veda is very significant- No foreigner would ever address a river in such familiar and endearing terms

as 'My Ganga, my Yamuna, my Saraswati', unless by long association he had developed an emotion about it- In the face of such statements from the Rig Veda there is obviously no room for a theory of a military conquest by the Aryan race of the non-Aryan races of Dasas and Dasyus."

ऋगवेद में सातों नदियों के बारे में जिस भाव व भाषा में लिखा गया है वह काफी महत्त्वपूर्ण है। कोई भी विदेशी नदियों को मेरी गंगा, मेरी यमुना और मेरी सरस्वती जैसे आत्मीयत व श्रद्धा भाव से संबोधित नहीं कर सकता जब तक कि उसका इनके साथ लंबा संबध ना रहा हो और उनके प्रति भावनात्मक लगाव ना हो। ऋग्वेद के इस संदर्भ के बाद इस सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता कि आर्यों ने भारत पर हमला कर गैर आर्यों को अपना दास बना लिया था।

गंगे! च यमुने! चैव गोदावरी! सरस्वति! नर्मदे! सिन्धु!
कावेरि! जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु॥

आज भी हमारे यहाँ कहीं भी नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते समय गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी का स्मरण करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे वेदों में उन सभी प्रमुख नदियों का वर्णन है जो भारत वर्ष में बहती रही हैं।

वामपंथी इस यूरोपीय व्याख्या को स्वीकार कर भारत को बहु-राष्ट्रीय देश कहते थे। इसीलिये इस्लामिक मजहब के आधार पर जब द्वि-राष्ट्र का नारा बुलंद हुआ, साम्यवादी लोग मुस्लिम लीग के साथ थे। भारत की सांस्कृतिक एकात्मता पर मजहबी एवं साम्राज्यवादी राजनीति ने आघात किया एवं भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ।

हमें आत्म-विस्मृत करने के लिए अंग्रेजों ने यह प्रचारित किया कि हम कभी राष्ट्र थे ही नहीं। वे हमारे देश को Nation in Making की संज्ञा देते थे। उनके अनुसार भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। भारत

एक देश एवं एक जन नहीं वरन् बहुभाषी, बहुधर्मी एवं बहुसंस्कृति वाला उपमहाद्वीप है। पाश्चात्य जगत ने सांस्कृतिक राष्ट्र के स्थान पर 'राष्ट्र-राज्य' की कल्पना प्रस्तुत की जिसने विश्व को दो महायुद्ध, उपनिवेशवाद एवं अखंड वैश्विक अशांति प्रदान की।

'राष्ट्र-राज्य' अवधारणा ने पश्चिम को भी कलहकारी राजनैतिक सत्ताओं में बाँट रखा है। द्वितीय महायुद्ध के बाद सकारात्मक यूरोपीय राष्ट्रवाद कुछ जोर मार रहा है। महायुद्धों के कड़वे अनुभवों के बाद अब वे यूरोपीय संसद, यूरोपीय बाजार एवं यूरोपीय मुद्रा का निर्माण कर रहे हैं। 'राष्ट्र-राज्यों' में विभक्त यूरोप को 'भू-सांस्कृतिक राष्ट्र' बनने में अभी समय लगेगा। यही स्थिति 'अरब राष्ट्रवाद' एवं 'अफ्रीकन राष्ट्रवाद' की है। ये राष्ट्रवाद अभी केवल नारों में है, धरती पर अभी साकार नहीं हुये हैं। भारत में एक शक्तिशाली भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निर्माण कर विश्व शांति यानी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को साकार करने वाला वैश्विक अभियान हमें चलाना होगा तभी विश्व इस विधायक विचार को समझेगा।

राष्ट्र की आत्मा चिति

दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे-किसी भी कार्य के गुण-दोषों का निर्धारण करने की शक्ति अथवा मानक चिति शक्ति है। प्रकृति से लेकर संस्कृति तक में उसका सर्वव्यापक प्रभाव है। उत्थान, प्रगति और धर्म का मार्ग चिति है। चिति सृजन है और उसके आगे विनाश ही है। चिति ही किसी भी राष्ट्र की आत्मा है जिसके सम्बल पर ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। चितिविहीन राष्ट्र की कल्पना व्यर्थ है। वही एक शक्ति है जो मार्ग प्रशस्त करती है श्रद्धा और संस्कृति का। राष्ट्र का हर नागरिक इस चिति के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय हित से जुड़ी संस्थाएँ भी इसी चिति के दायरे में आती हैं। कोई भी समाज किसी बात को श्रेष्ठ अथवा अश्रेष्ठ क्यों मानता है? जो 'चिति' के अनुकूल

हो वो श्रेष्ठ अर्थात् संस्कृति, जो चिति के प्रतिकूल हो वह अश्रेष्ठ अर्थात् विकृति। यह चिति जन्मजात होती है, इसके उत्थान-पतन से राष्ट्रों का उत्थान-पतन होता है। अपनी 'चिति' के विस्मरण ने हमें दूसरों का गुलाम बनाया, चिति के पुनः स्मरण ने आजादी दिलाई।

इकबाल ने कहा-

यूनान मिस्र रोमां, सब मिट गये जहाँ से।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।।

स्वस्थ समाज की शक्ति - 'विराट'

यह समाज की अन्तर्निहित एवं प्रतिरोधक शक्ति है। समाज के समस्त घटकों का जन्म 'विराट' से ही होता है। घटकों में पृथकता का भाव 'विराट' को शिथिल करता है। सांस्कृतिक राष्ट्र की नियामिका शक्ति है 'चिति' एवं 'विराट'। जागृत चिति एवं शक्तिशाली विराट राष्ट्र का नियोजन एवं संर्वधन करते हैं।

स्वराज्य एवं सुराज्य

यदि संस्कृति का विचार न हो तो स्वतंत्रता की लड़ाई स्वार्थी एवं सत्ता पिपासा की लड़ाई बन जायेगी। सत्ता पिपासा ने ही भारत की स्वातंर्त्र्य समर को विपथगामी बनाया और हम विभक्त हो गये। साम्राज्यवादी सत्तातंत्र ही स्वदेशी हाथों से संचालित होता रहा है। इसे सही अर्थों में स्वराज्य एवं सुराज्य बनाना है।

विविधता में एकता

हम एक देश, एक जन तथा एक संस्कृति हैं। भारत की संस्कृति **'एकम् सत् विप्राः बहुधा वदन्ति'** के अधिष्ठान पर विकसित हुई है। यहाँ विविधता समाज के शृंगार का नियामक है, विघटन का नहीं। भारत

के सभी पंथ, जाति, भाषा, कला एवं संगीत भारतीय संस्कृति के भिन्न-भिन्न अभिव्यक्ति है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर राष्ट्र नायक अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत भूमि का वर्णन इस प्रकार किया है।

भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरूष है।
हिमालय इसका मस्तक एवं गौरी शंकर शिखर है।
कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं।
विंध्याचल कटि है, नर्मदा करधनी है।
पूर्वी और पश्चिमी घाट, दो विशाल जंघायें हैं।
कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है।
पावस के काले काले मेघ, इसके कुंतल केश हैं।
चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं।
यह वंदन की भूमि है, अभिनन्दन की भूमि है।
यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है।
इसका कंकर -कंकर शंकर है,
इसका बिन्दु-बिन्दु गंगाजल है।

मिश्रित संस्कृति का विचार द्विराष्ट्रवाद एंव बहुराष्ट्रवाद को पुष्ट करता है, अतः यह वर्ज्य होना चाहिये। रसखान, अब्दुर्रहीम खानखाना, मौलाना दाउद, कुतबन, मंझन, मलिक मुहम्मद जायसी, नजरूल इस्लाम तथा कवि मीर तकी आदि मुस्लिम महापुरूषों की एक श्रृंखला है जो भारत की एकात्म संस्कृति के वाहक है। आधुनिक काल में भी श्रीमती एनीबेसेंट, जमशेद जी टाटा, न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला, पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम व मौलाना वहिदुद्दीन खान भी इसी श्रेणी में आते हैं।

भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकात्मता के सूत्र इसके इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन और संस्कृति में सर्वत्र विपुल मात्र में विद्यमान हैं। जिन नदी-तटों

पर हमारे पूर्वजों ने ऐसा वाङ्मय रचा जो मानव-सभ्यता का मानदण्ड बन गया, जिन पर्वतों की कन्दराएँ ऋषियों की तपस्या से धन्य हुई, जो सरोवर उनकी साधना के साक्षी बने, उनके दर्शन और स्पर्श से तन-मन के पाप-ताप का शमन होता है। इन तीर्थों की यात्रा और उसके माध्यम से होने वाले चारों दिशाओं में अन्तिम छोरों तक सम्पूर्ण देश के दर्शन, देश के कण-कण से जुड़ा पुण्यबोध, सारे देश में व्याप्त समान सांस्कृतिक आचार-व्यवहार को देखकर समस्त देशवासियों के प्रति उत्पन्न होने वाली आत्मीय भावना, कुम्भ जैसे विशाल मेलों के अवसर पर देशभर के लोगों का सान्निध्यवास, साधु-सन्तों और विद्वान् आचार्यों द्वारा दूर-दूर तक भ्रमण करके जगायी जाने वाली आध्यात्मिक चेतना और सम्पूर्ण देश में स्वीकृत समान जीवन-मूल्य ही इस देश को एक राष्ट्र के रूप में अमरत्व प्रदान करते हैं।

इस अनुभूति को राष्ट्र के जन-जन के मन में अंकित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन पवित्र नदी-पर्वतादि नैसर्गिक वरदानों, तीर्थों तथा पूर्वजों की महान् स्मृतियों के वाहक स्थलों का परिचय प्रत्येक भारतवासी को हो। इसी उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना हुई है।

3. अपना विचार परिवार व हमारी भूमिका

अन्य किसी भी दल में और हमारे में एक मौलिक अंतर यह हैं की हमारा दल एक व्यापक वैचारिक आंदोलन का अभिन्न अंग हैं। इस आंदोलन के केंद्र में राष्ट्रवाद का विचार हैं और संगठन के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका मात्रुसंस्था के नाते मध्यवर्ती हैं।

हमारी कार्यप्रेरणा का आधार

- 1925 में संघ संस्थापक डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उनका विश्वास था की देश का अधिसंख्य हिन्दू समाज अनुशासित होकर जब देश के लिए कार्य करने लगेगा, तब देश सर्वशक्तिमान विश्व गुरु हो जाएगा। वे कहते थे-यह हिन्दूराष्ट्र है। एकरस हिन्दू समाज व इस पहल हेतु प्रबल हिन्दू संघटन की कल्पना उन्होंने की। इस देश में रहनेवाला वह प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, इस देश के महापुरुषों को अपना पूर्वज मानता है और जिसके शत्रु और मित्र समान है। ऐसे सभी भारतवासी हिन्दू है, फिर चाहे वह पूजा पद्धति, भाषा व भूषा में कितनी भी विविधता रखते हो। अपने इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के लिए उन्होंने शाखारुपी तंत्र और संघ की प्रार्थनारूपी मंत्र को आधार बनाया।
- 82 वर्ष की संघ यात्रा में उसके पास समय-समय पर कई गणमान्य नागरिक गए, उसमें से कुछ स्वयंसेवक भी थे। उन्होंने तात्कालिक समाज की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में (जैसे मजदूर, विद्यार्थी, राजनीतिक, सांस्कृतिक) देशहित

को केंद्र में रख कर कार्य प्रारंभ करने की इच्छा व्यक्त की। संघ ने सभी बातों का सम्यक विचार कर आवश्यक सुझाव के साथ उन्हें कार्य प्रारंभ करने हेतु शुभकामनाएँ दी। उन संगठनों द्वारा समय-समय पर माँगने पर व्यक्ति, व्यवस्था और विचार के स्तर पर आवश्यक संसाधन भी दिए।

- इस चेतना से प्रारंभ हुए विभिन्न संघठनों का ऐसा समूह है, जिसे हम 'विचार परिवार' के नाम से संबोधित करते है।
- विचार परिवार के सभी संगठनों का अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उनके अपने संविधान है। उनकी अपनी निर्णय, क्रियान्वयन, मूल्यांकन व संगठन को संचालित करने की स्वतंत्र व्यवस्था है। वे परस्पर सहयोगी है, परावलंबी नहीं है।

विचार परिवार के कुछ संगठन

- विचार परिवार के विभिन्न संगठन-अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद, विद्या भारती, वनवासी कल्याण परिषद, सेविका समिति, सेवा भारती, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, विज्ञान भारती, सहकार भारती, प्रबुद्ध भारती, लघु उद्योग भारती, आरोग्य भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, सीमा सुरक्षा परिषद, अखिल भारतीय संपादक परिषद, दृष्टिहीन कल्याण संघ, पूर्व सैनिक सेवा परिषद, राष्ट्रीय सिख संगत, नेशनल मेडिकोज ऑर्गनायजेशन, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, भारतीय विकास परिषद, भारतीय इतिहास संकलन समिति, भारतीय शिक्षण मण्डल, दीनदयाल शोध संस्थान, हिन्दू जागरण मंच, प्रज्ञा-प्रवाह, संस्कृत भारती, संस्कार भारती, स्वदेशी जागरण मंच, सामाजिक

समरसता मंच, हिन्दुस्थान समाचार, हिमालय परिवार आदि।

- इन सभी संगठनों का प्रेरणा केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं। अगर उनके नीतिगत दृष्टिकोण अलग-अलग है या हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं की टोली अलग हैं और संसाधन जुटाने की व्यवस्था भी अलग ही हैं। वैचारिक मूलाधार एक मगर बाकी सभी दृष्टि से सम्पूर्ण स्वायत्त कार्य यही रचना हैं।

विचार परिवार में हमारा दायित्व, हमारी दृष्टि व भूमिका

- विचार परिवार के सभी संगठनों के प्रति स्वयं में समझ का विकास करना।
- सभी मिल कर देश व संस्कृति के उत्थान का कार्य कर रहें है। मार्ग भिन्नता हो सकती है, किन्तु लक्ष्य भिन्नता नहीं है, यह विश्वास निर्मित करना।
- भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो कार्य है अथवा हम पर जो भी दायित्व है, उसका निर्वहन करते हुए, विचार परिवार के विभिन्न संगठनों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति सहयोग का भाव। वह सहोदर है अतः अधिकतम सहयोग।

सावधानी

विचार परिवार के विभिन्न संगठनों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे साथ या सार्वजनिक कार्य व्यवहार में कोई दोष दिखाई दे तो वह व्यक्तिगत त्रुटि है, उसे उसके संगठन के साथ जोड़कर देखने से बचना ठीक रहता है।

4. हमारी कार्य पद्धति

भाजपा की विचारधारा पोथियों में बंद तत्वज्ञान नहीं, वह नित्य जीवन को संचालित करने वाला जीवनपद्धति है अतः हमारे सिद्धांत व हमारा व्यवहार अभिन्न है, इनमे कोई अंतर नहीं। हमारा राष्ट्रवाद, हमारी सामाजिकता, हमारा सामूहिक धर्म हमारे व्यवहार से प्रकट हो इसलिये संगठन की प्रबल संरचना है। इस संगठन के लिये अनिवार्य हमारी कार्यपद्धति, हमारी विचारधारा का अभिन्न अंग है।

कार्यपद्धति संगठन की आत्मा है। सुस्पष्ट और निश्चित कार्यपद्धति के अभाव में संगठन असंगठित और निर्जीव रहता है। भारतीय जनता पार्टी की एक निश्चित तथा संयोजित कार्यपद्धति है जो दल को विशिष्टता प्रदान करती है।

क) भाजपा का कार्य-राष्ट्रीय पुनर्निर्माण

ख) कार्य के आयाम

1. संगठन की रचना खड़ी करना।
2. संगठन तथा सरकार, राष्ट्र सेवा के साधन।
3. संगठन का लक्ष्यः- समरस राष्ट्रवादी समाज का निर्माण तथा चुनाव के माध्यम से जनसेवी सरकार का निर्माण करना।

ग) भाजपा की कार्यपद्धति

1. कार्यपद्धति के अंग
2. कार्यपद्धति के तत्व
3. कार्यपद्धति के सूत्र

1. कार्यपद्धति के अंग

➢ कार्यपद्धति के अंग

क. कार्यकर्ता

- सहज उपलब्धता, सादगी, निर्भीकता, अनुशासित आचरण, विश्वसनीयता, संवेदनशीलता, समय का प्रबंधन, वाक्यकुशल।
- परनिन्दा, आत्मस्तुति, व्यक्तिगत दुराग्रह, पूर्वाग्रह से बचना।
- पद नही, दायित्व का भाव।
- पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान, नये का स्वागत।
- कथनी और करनी में सामंजस्य।
- सफलता का श्रेय सबको, असफलता का दायित्व अपने को।
- स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नरम।
- ज्यादा बोलने व चेहरा देखकर बोलने से बचना।
- अपनी ही न सुनायें, दूसरों को भी बोलने दें और उन्हें भी सुनें।

ख. कार्यक्रम :

- संगठनात्मक, रचनात्मक और आन्दोलनात्मक।
- सूखा, बाढ, भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा।
- आम आदमी की आवश्यकताओं जैसी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संघर्ष।
- समाज के स्वयंसेवी संगठनों का गठन और उनमें भागीदारी।
- गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
- ऊपर की इकाई द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- अपनी इकाई क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर आन्दोलन।

- धरना प्रदर्शन आदि प्रजातांत्रिक एवं अंहिसात्मक आन्दोलन।
- सत्तापक्ष एंव विपक्ष की भूमिका के अनुसार कार्यक्रम।
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय निर्वाचनों के लिए चुनाव प्रबन्धन।
- कार्यक्रमों में कार्य विभाजन, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी, कार्यक्रम सम्पंन होने के बाद समीक्षा और आवश्यकतानुसार सुधार।

2. कार्यपद्धति के तत्वः

क. अनुशासन :

- अनुशासन का उद्देश्य कार्यकर्ता को संगठन से अलग करना नहीं है। अनुशासन का उद्देश्य उसे संभालना है।
- अनुशासनहीनता को नजरअंदाज करना अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना है।
- अनुशासनहीनता को रोकने के लिए दल के संविधान में प्रदत्त नियमों का पालन
- स्वानुशासन का प्रशिक्षण, पालन और सम्मान।

ख. परस्परता :

- नियमित मिलजुलकर बैठना, विचार-विमर्श तथा निर्णय लेना।
- हमारी निर्णय की प्रक्रिया का सार है-मत अनेक निर्णय एक।
- निर्णय का निष्ठा से क्रियान्वयन, समीक्षा, अनुभवों के आधार पर आगे सुधार।
- परस्पर मधुर संबंध।

ग. सम्पर्क :

- नियमित कार्यालय आना
- नियमित व नियोजित प्रवासी कार्यकर्ताओं की योजना व व्यवस्था
- कार्य के लिए सम्पर्क के साथ-साथ अनौपचारिक एवं पारिवारिक सम्पर्क अत्यावश्यक प्रवास एंव बैठक सम्पर्क के साधन है।
- प्रभावी व्यक्तित्व तथा राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान रखने वाला प्रवासी कार्यकर्ता ही समाज को जोड़ सकता है।

घ. संवाद :

- मतभेदों के बावजूद, संवाद मनभेद से बचाता है।
- अनेक मतों के बावजूद एकमत विकसित करने में संवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- ऊपर की और नीचे की ओर और बराबर के स्तर पर समान रूप से संवाद।
- संवाद औपचारिक निर्णय लेने में सहायक होता है।
- संवादहीनता अनेक बार भ्रम, अविश्वास व दूरियाँ बढ़ाती है।
- देखभाल और साझा करना (Sharing & Caring)
- अस्तु समस्याओं का समाधान संवाद से, संवाददाता से नहीं।
- वार्तालाप, बैठकें, पत्राचार गोष्ठियाँ आदि संवाद के माध्यम हैं।

ड. प्रवास :

1. नियोजित 2. नियमित 3. नैमित्तिक 4. निवासी
5. अनौपचारिक

घ. कार्यालय :

- कार्यालय अपने कार्य का आत्मा

- कार्यालय-निश्चित समय
- कार्यालय का वातावरण, स्वच्छता
- कार्यालय प्रबंधन

च. बैठकें :

कार्य समिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का सकारात्मक वातावरण बना रहे, इस बारे में व्यवहार की आवश्यक सावधानियाँ रखना, बैठक की पूर्व तैयारी, बैठक में लिए गये विषयों को निर्णय तक पहुँचाना। पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकें सामान्यत: कम से कम निम्नलिखित अवधि में होगी:

- राष्ट्रीय परिषद तथा प्रदेश परिषद – वर्ष में एक बार
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश कार्यकारिणी – तीन महीने में एक बार
- क्षेत्रीय समिति, जिला समिति, मंडल समिति – दो महीने में एक बार
- स्थानीय समिति – एक महीने में एक बार

बैठकों में सादगी हो, समय निर्धारित हो, विषय (अजेंडा) तय हो, बैठक लेने वाले के नाम व बैठक में भाग लेने वालों का स्तर तय हो।

छ. संवैधानिक व्यवस्थाओं का अनुपालन :

- दल का संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है।
- संविधान का आद्योपांत अध्ययन, चिंतन और अनुपालन।
- सदस्य बनाते समय ''प्रतिज्ञा'' पर आग्रह।

3. कार्यपद्धति के सूत्र :

- संगठन को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राह्य, सर्वग्राही बनाना।

- प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व में सभी वर्गों को योग्य स्थान देना।
- सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवकों, मीडिया आदि से सतत सम्पर्क व संवाद।
- मीडिया से सम्पर्क आवश्यक किन्तु मात्र छपने के लिए मीडिया के हाथ में खिलौना न बनें।
- कार्यकर्ता का स्थान कर्मचारी और नेता का स्थान मैनेजर न ले।
- प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता की व्यवस्था।
- हमारे कार्यों में न धन का अभाव रहे और न धन का प्रभाव।
- संगठन में पसीना और पैसे में संतुलन रखा जाए।
- वैचारिक एवं सांगठनिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
- संगठन की गतिविधियों में लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण सर्वानुमति के लिए प्रयास।
- प्रत्येक बूथ में जाना, प्रत्येक गली में घूमना, प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देना तथा प्रत्येक मतदाता से बात करना।
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय चुनावों के प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था।
- चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन।
- प्रत्याशी चयन के पूर्व व्यापक विचार-विमर्श किन्तु प्रत्याशी की घोषणा के बाद विजय हेतु निष्ठापूर्वक प्रयास करना।
- संगठन तथा सरकार में ''एक व्यक्ति एक पद'' के सिद्धांत का यथासम्भव पालन।

5. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भाजपा का योगदान

- 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ का गठन, 1977 में राष्ट्रहित में जनता पार्टी में विलय तथा 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन।
- विकल्प की राजनीति देने का संकल्प।
- राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति के पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है। इसके लिये संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संगत विचारधारा से प्राप्त हेता है।
- आज भारत के सभी राजनैतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद तथा पंच-निष्ठाओं की संगत विचारधारा के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। शासन की नीति में भी इनका समुचित प्रतिबिम्बन हो रहा है।

राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में भाजपा का योगदान

- राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग, कबिलाई वेश में पाकिस्तानी आक्रमण का प्रतिकार, 1952-53 में परमिट-व्यवस्था की समाप्ति के लिए संघर्ष, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का बलिदान।
- 1954 में गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान।
- 1958 में नेहरू-नून समझौते के अंतर्गत बेरुबाड़ी पाकिस्तान को देने का विरोध।

- 1959 में सीमा पर चीनी अतिक्रमण का विरोध तथा तिब्बत के मुक्ति की मांग।
- 1965 में कच्छ समझौता हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को चुनौती थी। हमारी पार्टी के इस चुनौती का सामना किया।
- 1971 में शिमला समझौते का विरोध।
- 1991 में कश्मीर विषय पर राष्ट्रीय एकता यात्रा कर लालचौक पर तिरंगा फहराया।
- तीन बीघा बांग्लादेश को देने का विरोध।
- 2019 में धारा 370 की समाप्ति, पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एक मात्र पार्टी भाजपा है, अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।
- सर्जिकल स्ट्राईक एवं एयर स्ट्राईक कर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब।
- आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के विषय उठाना हो या पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम करना हो, यह कार्य देश में केवल भाजपा ही कर रही है।

लोकतंत्र के प्रति निष्ठा एवं लोकतंत्र की रक्षा

- प्रथम चरण में जब आजादी के आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे, विपक्ष या तो था ही नहीं या राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था। जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बन गया।

- चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाले एकमात्र दल जनसंघ या भाजपा ही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमारी पार्टी ने बल दिया, उनका उल्लंघन नहीं होने दिया।
- आपातकाल के प्रतिकार की कहानी हमारी लोकतंत्रात्मक निष्ठा को पुष्ट करती है। जब देश पर आपातकाल थोपा गया, इसके विरूद्ध हमने संघर्ष किया। यहाँ तक की लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर दिया।
- भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय राजनीतिक दल जिसमें जीवंत आंतिरक लोकतंत्र है, वैसा संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास है।

सर्वपंथ समादर भाव को सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति में स्थापना

- सांप्रदायिक आधार पर वोटबैंक एवं तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध।
- तुष्टिकरण किसी का नहीं और सभी को न्याय।
- शाहबानो केस, राममंदिर आंदोलन, तीन तलाक।
- सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण का विरोध।

मूल्य आधारित राजनीति की स्थापना

- लोकमत का निर्माण एवं लोकमत का परिष्कार।
- वंशवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद एवं जातिवाद की पृथकतावादी राजनीति का विरोध।
- भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, प्रमाणिक, जवाबदेह एवं जनभागीदारी युक्त शासन।

राईट बनाम लेफ्ट की राजनीति से मुक्ति

- पाश्चात्य विचार के आधार पर राईट बनाम लेफ्ट की राजनीति अस्वीकार।
- भारतीय विचार पर आधारित भारतीय समाधान पर जोर।
- न लेफ्ट न राइट केवल व्यवहारिक एवं वास्तविक।

राष्ट्र प्रथम की अवधारणा की स्थापना

- राष्ट्र प्रथम, फिर पार्टी, स्वयं अन्तिम
- विपक्ष में रहते हुए राष्ट्रीय विषयों पर कई बार सरकार का समर्थन।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा विदेश में राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू का बचाव।
- इस अवधारणा के कारण राष्ट्रहित में नि:स्वार्थ, समर्पित एवं अनुशासित कार्यकर्ताओं के लंबी कतारों का निर्माण।

राष्ट्रहित में विदेश नीति, वसुधैव कुटुंबकम् का उद्घोष

- शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर निकलने पर बल।
- वैश्विक गुटबाजी से परहेज।
- सभी देशों से अपनी क्षमता और समानता के आधार पर संबंध।
- कोविड-19 वैश्विक महामारी का दौर हो, किसी देश पर प्राकृतिक आपदा हो या युद्ध हो, भारत सबकी सहायता को तत्पर।

भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना

- देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न कर, विश्व को सुदृढ़ भारत का अटलजी की सरकार ने सीधा संदेश दिया।

स्वदेशी एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण

- भारत के उद्योगों को प्रोत्साहन। भारतीय परिस्थति में लघु, मध्यम, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मानते हुए तथा उनके द्वारा देश में व्यापक रोजगार देने की उनकी क्षमता को देखते हुए स्वदेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का संकल्प।
- राजनीतिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण पर विश्वास। लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत राजनीतिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण परम आवश्यक।

सुशासन एवं विकास

- ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी है। आठ साल का केन्द्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। गत आठ वर्षों से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सुशासन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों का शमन कर नई कार्य-संस्कृति की शुरुआत।

अंत्योदय एवं गरीब कल्याण

- केन्द्र की मोदी सरकार के अंत्योदयी प्रयत्नों का ही परिणाम था

कि कोविड-19 महामारी में भी गरीब से गरीब व्यक्ति तक राशन, नकद राशि एवं गैस सिलेंडर पहुँचा। पिछले छह वर्षों में मोदी सरकार की हर कल्याणकारी योजना के केन्द्र में गरीब, महिला एवं युवा रहे, जिसके कारण करोड़ों परिवारों को सस्ते दर पर राशन, दवा, बीमा, मुफ्त गैस सिलेंडर, पक्के मकान बिजली, पाइप द्वारा पेयजल, पाँच लाख तक का मुफ्त इलाज, पेंशन योजना, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर के साथ-साथ अनेक योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचा है।

- भारतीय जनता पार्टी की 'अंत्योदय' की संकल्पना पर पूर्ण विश्वास है। पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय एवं दरिद्रनारायण की अवधारणा के अनुरूप मोदी सरकार देश के गरीबों को समर्पित है और मान-सम्मान के लिए तरसती हमारी माँ-बहनों को समर्पित है। गाँव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मोदी सरकार सबके लिए कार्य कर रही है।

संविधान की गरिमा बढ़ाई

- पहली बार देश में संविधान दिवस का आयोजन कर संविधान के प्रति जनजागरूकता पैदा करने का कार्य।
- संविधान के अनुसार कार्य, संविधानिक संस्थाओं का सम्मान तथा संविधान के अनुरूप शासन चलाने का कार्य। सबके लिए एक-समान कानून, वीआईपी कल्चर समाप्त, विशेषाधिकार पर रोक।

राजनैतिक अस्पृश्यता दूर की

- सामाजिक अस्पृश्यता दूर करने के साथ राजनीतिक अस्पृश्यता

भी दूर करने का प्रयास।

- विपक्ष अथवा अन्य विचारधारा को अछूत न मानते हुए उनसे संवाद एवं राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का प्रयास।

राजनीति में नई कार्य संस्कृति का उद्भव

- संप्रदाय, जाति एवं क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर देश में विकास, सुशासन एवं परफार्मेंस की राजनीति की शुरूआत।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास

- गाज़्व बनाम शहर, कृषि बनाम उद्योग एवं निजी बनाम सरकारी की विभाजक मानसिकता से ऊपर उठकर समग्र विकास का मॉडल (Integrated Model of Development) पर कार्य जिसके अंतर्गत सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर, सबकी भागीदारी से सबके विकास की व्यापक अवधारणा की भारतीय राजनीति में स्थापना।

आधुनिक भारत का निर्माण

- अनुसंधान, नवाचार एवं शोध को बढ़ावा देते हुए हर क्षेत्र में नए तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- डीजिटल क्षेत्र में बड़े कदम, भारत डीजिटल लेन-देन में विश्व में अग्रणी बना।
- दूरगामी सोच के साथ देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण।

- परिणाम : कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच मेड इन इंडिया टीको के निर्माण में सफलता।

आत्मनिर्भर भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत

- हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का संकल्प। रक्षा क्षेत्र से लेकर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूत कदम।
- देश की सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्रों का पुनर्जागरण। राष्ट्र की आत्मशक्ति, आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान का आह्वान करते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए संकल्पबद्ध।

भारत माता की जय!
वंदे मातरम्!!

6. मोदी सरकार की दूरगामी परिणाम वाली नीतियाँ

पिछले आठ वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करते हुए अनेक अनुपम उपलब्धियाँ प्राप्त की है। यह ऐसे ही संकल्प का परिणाम है कि भारत ने अपनी एकजुट शक्ति से न केवल कोविड-19 महामारी का मजबूती से सामना किया, बल्कि दो टीकों का निर्माण कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त कर पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए आने वाले 25 वर्षों में एक सुदृढ़, समृद्ध एवं भव्य राष्ट्र के निर्माण की रूपरेखा रखी है। आने वाले 25 वर्षों को 'अमृत काल' कहते हुए उन्होंने कहा कि यह अपनी प्रतिभा, संसाधन एवं शक्ति के आधार पर उपलब्धियों से भरी यात्रा प्रारंभ करने का सही समय है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र के साथ 'सबका प्रयास' जोड़ते हुए उन्होंने हर देशवासी को स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूर्ण होने तक एक 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। 'अमृत काल' के लक्ष्यों से समृद्धि की नई ऊँचाइयों को छूने, देश में ग्रामीण-शहरी के अंतर को पाटते हुए आधुनिक अवसंरचना से युक्त करने तथा लोगों के जीवन में सरकारी तंत्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को न्यूनतम करने जैसे कदमों के रूप में स्पष्ट किया। नए भारत का उदय हर व्यक्ति की भागीदारी एवं हर भारतीय की लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता एवं समर्पण से निस्संदेह सुनिश्चित होगा।

ऐसे तो मोदी सरकार के हर निर्णय दूरगामी परिणाम है, परंतु अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, शासकीय संरचना एवं पारिस्थितिक तंत्र में

व्यापक परिवर्तन एवं दूरगामी परिणाम वाले प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:

➢ प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर, 2021 को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 'पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान' का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के सात इंजन रोड, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग एवं सहायक अवसंरचना पर दिए गए विशेष बल से पूरी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प होगा। इससे देश के संसाधनों का आदर्श इस्तेमाल संभव होगा। इससे अवसंरचना योजना, कार्यान्वयन और निगरानी को नई दिशा मिलेगी। यह परियोजनाओं के समय और लागत के बढ़ने पर भी लगाम लगायेगी।

➢ 14 प्रमुख सेक्टरों में पीएलआई योजना

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive & PLI) की शुरुआत 11 नवंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही देश की आत्मनिर्भर बनाना है। अब तक केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी हार्डवेयर, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, सौर मॉड्यूल, धातु एवं खनन, कपड़ा एवं परिधान, ड्रोन व उन्नत रसायन सेल बैटरी सहित 14 क्षेत्रों के लिये PLI योजनाओं की घोषणा की है। 21 अप्रैल 2022 तक 14 सेक्टरों में इस योजना के तहत 2.34 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश आया है।

➢ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना केंद्र सरकार की

एक प्रमुख नीतिगत पहल है। 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं, उनमें 87 प्रतिशत उत्पादों में 'मेक इन इंडिया' को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार 2020-21 में 98 प्रतिशत उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में 'मेक इन इंडिया' को प्राथमिकता मिली।

रक्षा उत्पादन विभाग ने सार्वजनिक रक्षा उपक्रम के संबंध में दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में दो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ अधिसूचित की। पहली सूची में 2,851 मद शामिल हैं, जिनमें से 2,500 मद पहले से ही स्वदेशी हैं और 351 मदों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। दूसरी रिपोर्ट में स्वदेशीकरण के लिए 107 प्रमुख लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स/सब-सिस्टम को अधिसूचित किया गया है।

➢ डिजिटल कौशल

केंद्रीय बजट 2022-23 में एक डिजिटल कौशल बनाने, उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास और बेहतर उद्योग संपर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत एक कक्षा, एक चैनल और डिजिटल विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाएगा, जो विशेष रूप से ग्रामीण/दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में उपयोगी होगा। यह विश्वविद्यालय संकाय विकास, एसईडीजी में नामांकन, रोजगार क्षमता बढ़ाने वाले कौशल, क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री, औपचारिक और गैर-औपचारिक (पूर्व शिक्षा को मान्यता देना) शिक्षण आदि में मौजूद अंतर को समाप्त कर सकता है।

➢ स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन

भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा

स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है। नये मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 60 हजार से अधिक हो गई है जो 2016-17 में केवल 735 थी।

100 भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया। इससे यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में हैं।

➢ आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की। 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक में क्रांति लाएगा। इससे पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधनों का और भी अधिक कारगर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, उपभोक्ता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता के बीच आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इससे देश में उपचार पाना और देना, दोनों बहुत आसान हो जायेंगे।

➢ डिजिटल इंडिया मिशन

डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 जुलाई, 2015 को की गयी। डिजिटल इंडिया ने लोगों के जीवन को बदलने, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने तथा देश के लिए रणनीतिक लाभ पैदा करने में काफी योगदान दिया है। गौरतलब है कि भारत दुनिया के डिजिटल क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है और अब भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल निर्माण देशों में से एक है।

➢ हरित हाइड्रोजन

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने फरवरी 2022 में हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा की। इस नीति ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है जो देश में मौजूदा हाइड्रोजन मांग से 80% अधिक है। यह भारत की ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है और इस कदम के साथ भारत एक व्यापक हरित हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला 18वां देश बन गया। अमोनिया और हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित कर सकने वाले भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है।

➢ देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा

देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर 2015 से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (हाइब्रिड एवं) स्कीम (फेम इंडिया) आरंभ की। वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ पहली अप्रैल, 2019 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। 11 फरवरी 2022 तक वर्तमान में देश भर में 966,363 इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर हैं।

➢ वाहन कबाड़ नीति का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। इस नीति से नये भारत में वाहन सेक्टर और आवागमन सुविधा को नई पहचान मिलेगी। यह नीति देश में वाहनों की तादाद के आधुनिकीकरण में बड़ी भूमिका निभायेगी। इसके कारण अनुपयुक्त वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से सड़कों से हटाने में मदद

मिलेगी।

➢ रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती: ग्रीन कॉरीडोर का निर्माण

मोदी सरकार ने प्राकृतिक, रसायन-मुक्त, जैविक एवं शून्य-बजट प्राकृतिक खेती के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे पाँच किलोमीटर चौड़े ग्रीन कॉरीडोर का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 2022-23 के बजट में 10,433 करोड़ रुपए का 4.2 गुना (पिछले वर्ष की तुलना में) अधिक आवंटन प्राप्त हुआ जो रसायन-मुक्त खेती के जमीनी कार्यान्वयन हेतु धन निर्धारित करेगा।

➢ 'कृषि अवसंरचना कोष' का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौ अगस्त, 2020 को 'कृषि अवसंरचना कोष' के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा का शुभारंभ किया। कृषि अवसंरचना कोष 'कटाई बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना' और 'सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों' जैसे कि शीत भंडार गृह, संग्रह केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयाँ आदि बनाने में मददगार होगा।

➢ नई शिक्षा नीति, 2020

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते

खुल गए है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह लेगी। इसमें 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

➢ योग

मानवता को भारत का उपहार 'योग' अब पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल का ही परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 देशों के समर्थन से 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया गया। कोविड-19 महामारी के दौर में 'योग' के महत्त्व को पूरे विश्व ने और भी अधिक समझा और इसे अपनाया।

➢ अप्रासंगिक पुराने कानूनों की समाप्ति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अब तक 1,800 अप्रासंगिक पुराने कानूनों में से 1,450 को खत्म किया जा चुका है। इसका उद्देश्य लोगों को जीवन आसान करना है।

➢ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

डीबीटी का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए धन में पारदर्शिता लाना और चोरी को समाप्त करना है। डीबीटी के जरिए लाभ या सब्सिडी सीधे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों को हस्तांतरित की जाती है। बीते 8 साल में DBT के जरिए 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं।

➢ ड्रोन नियमावली

केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को उदार बनाई हुई ड्रोन नियमावली, 2021 को लागू किया। ड्रोन अपनी पहुँच, प्रतिभा, सरल उपयोग के कारण, विशेष रूप से भारत के दूर-दराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी, मितव्ययी इंजीनियरिंग में अपनी परंपरागत मजबूती और व्यापक घरेलू मांग को देखते हुए भारत में वर्ष 2030 तक वैश्विक ड्रोन केन्द्र बनने की संभावना है।

➢ नमामि गंगे अभियान

2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब तक मिशन के तहत विश्व बैंक द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की 313 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

➢ प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को काफी प्राथमिकता दी है। इसके कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और समृद्धि का एक नया चरण शुरू हो चुका है। आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश के अवसरों में वृद्धि को सक्षम करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल, सड़क, वायु, जल और दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 16 मार्च, 2022 को जारी एक बयान के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 54

केंद्रीय मंत्रालयों के कुल सकल बजटीय समर्थन में लगभग 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2014 में 36,108 करोड़ से वित्त वर्ष 2022-23 में 76,040 करोड़ रुपए हो गई है।

➢ एक देश, एक कर (जीएसटी सुधार)

'जीएसटी' भारतीय कराधान का सबसे बुनियादी ऐतिहासिक सुधार है। इस सुधार को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। इसमें 17 स्थानीय शुल्क समाहित हुए हैं।

➢ इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड

केंद्र सरकार ने बैंकों के फंसे ऋण की वृहत् समस्या को हल करने के लिए इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया। यह एक महत्त्वपूर्ण सुधार है। इस कोड से बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

➢ हर गाँव तक पहुँची बिजली

हर गाँव तक बिजली का उजाला पहुँच चुका है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को लाल किले की प्राचीर से 1,000 दिनों के अंदर देश के अंधेरे में डूबे 18,452 गाँवों में बिजली पहुँचाने का संकल्प लिया था। इसके लिए 'दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना' शुरू की गई। 28 अप्रैल, 2018 को यह संकल्प पूरा हुआ यानी तय समय सीमा से 12 दिनों पहले।

➢ नीति आयोग

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत

'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया।

➢ जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का नेतृत्व (कॉप-26)

भारत जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकट पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ग्लासगो में एक नवंबर, 2021 को कॉप-26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दुनिया को आश्वस्त किया कि भारत 2030 तक अपनी Non & Fossil Energy Capacity को 500 गीगावाट तक पहुँचाएगा और वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा।

उल्लेखनीय है कि आज भारत installed renewable energy capacity में विश्व में चौथे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की Non Fossil Fuel Energy में 25 परसेंट से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये भारत के एनर्जी मिक्स का 40 परसेंट पहुँच गया है।

➢ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फ्रांस्वा ओलांद द्वारा 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-21) में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इस समय इसके कुल 101 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय भारत में स्थित है।

➢ रेरा (रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम)

रेरा का पूरा नाम रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम (RERA) है। 2016 में पारित यह अधिनियम घर खरीदारों के हितों की रक्षा और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। आज मध्यम वर्ग के लाखों लोगों को रेरा का लाभ मिल रहा है।

➢ भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर

भारत द्वारा चंद्र मिशन-2 का सफल प्रक्षेपण, चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित, कार्टोसेट-3 और 13 व्यावसायिक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण और ऐसे ही अनेक उपलब्धियों के साथ भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मोदी सरकार भारतीय वैज्ञानिकों के मेधा को प्रोत्साहित कर इस दिशा में कई कदम उठा रही है।

स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद आज जब नयी संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, देश डिजिटल तकनीक, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नये क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। आज भारत आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में ऐतिहासिक निर्णयों जैसे धारा 370 को निरस्त करना, जीएसटी को लागू करना, सीएए एवं तीन तलाक पर कानून बनाना, सुरक्षा बलों के लिए ओआरओपी, श्रीराम मंदिर का निर्माण, सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक जैसे मजबूत निर्णय सफलतापूर्वक ले रहा है। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं करिश्माई नेतृत्व में भारत 'कैन डू (Can Do)' पीढ़ी के युवाओं से युक्त है जो अद्‌भुत उपलब्धियों एवं सिद्धियों के गीत गा रहे हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि यह 'अमृत काल' देश को अकल्पनीय ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

भारत माता की जय! वंदे मातरम्!!

7. मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाएँ

2014 में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ जनादेश दिया। 16 मई 2014 को लोकसभा के परिणाम आए, उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ोदरा में एक जनसभा को संबोधित किया, वस्तुतः उसी सभा में प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब गरीबों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

इसके बाद 20 मई 2014 को संसद के सेन्ट्रल हॉल में जब 282 भाजपा सांसदों ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी को अपना नेता चुना तो वहाँ उन्होंने बहुत ही भावुक भाषण दिया और कई लोग उस भाषण के दौरान भावुक हुए-वह भावुक भाषण मोदी जी की स्वयं की गरीबों के प्रति पीड़ा को व्यक्त करता है, उन्होंने स्वयं गरीबी को सहा है, अपनी माँ को दूसरों के घरों में काम करते देखा है, अतः वे गरीबी के दुःख को, कष्ट को नजदीक से महसूस करते हैं, अतः उन्होंने यह स्पष्ट किया कि नई सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार होगी।

योजना में सुधार-नीति आयोग

26.05.2014 को माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, शपथ के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए अपनी सरकार को गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार बताया।

प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंशा प्रकट करते हुए वर्षों से अलग-अलग योजना बनाकर टुकड़ों में काम करने वाले योजना आयोग को समाप्त

कर उसके स्थान पर नीति आयोग के गठन का निर्णय लिया, जो कि एक समग्र विकास के आधार पर कार्य करे। नीति आयोग में गरीबों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाने हेतु विशेषज्ञ समूहों का गठन किया। हम सभी ने यह महसूस किया है कि मोदी सरकार के आने के बाद जो नीतियाँ बनी उसके सकारात्मक व प्रभावकारी परिणाम हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी के चिंतन के केन्द्र में ही मुख्य रूप से गरीब व गरीब कल्याण है। इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय चिंतन से व एकात्ममानव दर्शन से निर्मित होती है, जो कहता है कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति के विकास से ही संपूर्ण विकास पूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त डॉ. राम मनोहर लोहिया के सामाजिक न्याय के दर्शन की झलक भी हमें दिखती है। महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना भी गरीब कल्याण के लिए प्रेरित करती है व दिशा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आवास की योजना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती थी। इस सरकार से पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से आवास योजना थी, लेकिन उसके क्रियान्वयन को लेकर न तो सरकार सजग थी, न ही धरातल पर अधिकारी। एक ग्राम पंचायत में मुश्किल से एक या दो घर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इस योजना में भी व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त था। लोग अपनी तीसरी किश्त लेने भी नहीं जाते थे। एक घटना का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक

बार अधिकारियों के साथ मीटिंग में पूछा कि तीसरी किश्त न लेने आने वालों के विषय में क्या सुझाव है, तो किसी ने यह सुझाव भी दिया कि तीसरी किश्त न लेने वालों के प्रति FIR दर्ज कराई जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी अवस्था में गरीबों के विरूद्ध FIR दर्ज नहीं की जाएगी। यह उनके गरीबों के प्रति सद्व्यवहार का परिचायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए कि हमें उन कारणों की पहचान करनी होगी जिसके चलते लोग तीसरी किश्त नहीं लेने आते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहीं से नीति आयोग को निर्देश दिए कि एक ऐसी योजना बनाओ जिससे स्पीड और स्केल दोनों ही बढ़े। परिणाम हम सभी के समक्ष है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत होती है, जहाँ पहले ग्राम पंचायत में एक-या-दो घर बनते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 200-250 से लेकर 600 घर तक पहुँच रहा है। पहले जहाँ 40,000 रूपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती थी, वही अब 1. 5 लाख से 2.5 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। DBT के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचता है। जिससे भ्रष्टाचार की संभावना पर विराम लगा है। एक ज्यादा प्रभावकारी व पारदर्शी योजना हम सभी के सामने उपस्थित है।

स्वतंत्रता एवं समानता के विचार को बढ़ावा देना

वस्तुतः हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे का लक्ष्य निर्धारित किया था संविधान निर्माताओं की सोच थी कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अक्षुण रखना है, असमानता को दूर करना है और भाईचारे को निरंतर बढ़ाना है। आप कल्पना कीजिए कि एक गरीब व्यक्ति के पास कच्चा मकान है और दूसरे सक्षम व्यक्ति के पास पक्का मकान है, ये ही असमानता का सूचक है और इससे गरीब

व्यक्ति के मन में हीन भावना भी आती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पक्के घर उपलब्ध करा कर असमानता को दूर करने का काम कर रहे है उसकी हीन भावना को आत्म-सम्मान में बदलने का कार्य कर रहे हैं।

उज्ज्वला योजना

इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के तहत उद्देश्य मात्र गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना नहीं है, मूलत:यह नारी सम्मान से जुड़ा विषय है, महिलाओं को धुएँ और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों और समस्याओं से मुक्ति का विषय है, अर्थात् उनके अच्छे स्वास्थ्य का विषय है। यह नारी-सशक्तिकरण का विषय है। यह समानता लाने का विषय है। इसके मूल में गरीब कल्याण है।

जहाँ 2014 से पहले 60 वर्षों में सिर्फ 55% घरों में ही रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध थी, वहीं 2014 के बाद से पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार ने शत-प्रतिशत घरों को रसोई गैस प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। आज हर घर की महिलाएँ स्वाभिमान और सम्मान के साथ भोजन पकाती हैं। 9 करोड़ से ज्यादा माताओं और बहनों को धुएँ से आजादी दिलाने के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए हैं।

शौचालय का निर्माण

माननीय मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो लाल किले की प्राचीर से शौचालय बनाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी लाल किले से 10 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते है। विपक्षियों द्वारा इस लक्ष्य की आलोचना की गई, मजाक बनाया गया और इसे अव्यवाहारिक लक्ष्य बताया गया। यहाँ यह बात पुन: स्मरणीय है कि शौचालय इससे

पहले भी बनते, निर्मल गाँव योजना के तहत शौचालय बनते थे, जो क्रियान्वयन की विफलता और व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। माननीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा-शक्ति और क्रियान्वयन की सफलता का परिणाम है कि आज लक्ष्य से अधिक 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनकर तैयार हैं। यह योजना भी मूलत: गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर आत्म सम्मान विशेषत: महिलाओं के आत्म-सम्मान और उनकी इज्जत से जुड़ी योजना है। पहले शौचालय न होने पर हीन भावना रहती थी, अतिथियों के आने पर भी असुविधा रहती थी।

असंभव को संभव करने का नाम ही मोदी है - इसके पीछे कारण है भोग हुआ यर्थार्थ, जो उन्हें गरीबों के प्रति कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए उनकी हर योजना के केंद्र में गरीब कल्याण की भावना ही प्रमुख रूप से प्रेरणा शक्ति के रूप में कार्य करती है।

गरीब कल्याण अन्न योजना

हम गरीब कल्याण अन्न योजना का उदाहरण ले सकते हैं - संपूर्ण कोरोना काल की त्रासदी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरण करना ताकि कोई अन्न के अभाव में भूखा न रहे।

आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत के तहत गरीबों के लिए 5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा का प्रबंध करना। आज 3 करोड़ से अधिक गरीब लोग आयुष्मान कार्ड से अपना अच्छा इलाज सुनिश्चित करा रहे है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

PM-किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे किसानों के खातों में DBT द्वारा सीधे सहयोग राशि उपलब्ध कराना। अभी 31 मई, 2022

को ही इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा शिमला में आयोजित समारोह से 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को रू0 21 हजार करोड़ से अधिक की 11वीं किस्त सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई।

जन धन योजना

इसी प्रकार जन-धन खातों के माध्यम से गरीबों के वित्तीय समावेशन के मार्ग को सुलभ किया गया। जनधन योजना के माध्यम से 45 करोड़ 21 लाख खाते खोले गए, इनके माध्यम से ही आज DBT के द्वारा गरीबों के खातों में सीधे लाभ पहुँच रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले ऐसी योजना मौसम आधारित होती थी जो मशीनों द्वारा सर्वे पर आधारित थी, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार के चलते इसका लाभ मात्र किसानों को नहीं मिल पाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि जिन किसानों का बीमा है, KCC धारक और KCC नहीं धारक को भी, यदि 33% खराब होता है तो इस योजना का लाभ मिलेगा और आज किसानों के खाते में सीधा पैसा जाता है-यह दर्शाता है कि मोदी है तो मुमकिन है।

कोई चोरी नहीं

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी कहते थे कि केंद्र से 100 रूपया भेजने पर लाभार्थी तक 15 रूपया ही मिलता है, लेकिन आज समय बदल चुका है, पारदर्शी और सख्त व्यवस्था एवं तकनीकी के माध्यम से मोदी जी स्वाभिमान पूर्वक और संदृष्टि के भाव से कहते हैं कि आज पूरा 100 रूपया गरीब तक पहुँचता है। भ्रष्टाचार को समाप्त

करने का कार्य मोदी सरकार ने किया है।

सौभाग्य योजना

सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली पहुँचाने का कार्य मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह मोदी सरकार को इंटीग्रेटेड अप्रोच व समग्र विकास की नीति को प्रदर्शित करता है। बिजली का न होना भी असमानता और हीनभावना का एक प्रमुख कारण था। मोदी जी हर घर को बिजली उपलब्ध कराके असमानता और हीन भावना को कम करने का काम कर रहे हैं। सर्वे के माध्यम से 18,000 ऐसे गाँवों की पहचान की गई, जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची थी, इस कारण युवक-युवतियों के विवाह संबंध में भी परेशानी आती थी। आज बिजली आने से आत्म-सम्मान का भाव विकसित हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई ठीक प्रकार से हो पा रही है, वे पढ़-लिखकर सक्षम बन रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अर्थात् जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार हो रहा है।

पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना

केंद्र सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से भी आज मोदी सरकार छोटे-छोटे ग्रामों व ढाणियों तक बिजली पहुँचाने का काम कर रही है। पहले भी राजीव गाँधी ग्राम विद्युतीकरण योजना थी, जिसके तहत 1 या 2 खंभे कभी कहीं लगते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रखा और स्पीड और स्केल बढ़ाने का निर्देश दिया। परिणाम आज हम सभी के सामने है कि छोटे-छोटे ग्राम ढाणियाँ भी आज बिजली की रोशनी से जगमग हो रहे हैं। इस योजना के नामकरण के पीछे भी यह चिंतन था कि पं. दीन दयाल उपाध्याय ने बिजली के

अभाव को और उससे होने वाली परेशानी और दिक्कत को महसूस किया था, जिसे स्वयं मोदी जी ने भी अपने जीवन काल में महसूस किया। जबकि राजीव गाँधी ने बिजली न होने के दर्द को महसूस ही नहीं किया था, इसलिए इस योजना का नाम पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रखा गया। यह योजना आज दीन दयाल जी के अंत्योदय चिंतन को साकार करने का काम कर रही है।

स्वनिधि योजना

स्वनिधि योजना के माध्यम से ठेला, रेहड़ी लगाने वाले गरीब व्यक्तियों को पहले 10,000 फिर 20,000 तथा अब 50,000 हजार तक की बिना गारंटी वाली ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पहले एक सब्जी वाला यदि मंडी से सब्जी उठाता था तो पैसे न होने पर उसे ब्याज भरना पड़ता था। आज गरीब व्यक्ति सम्मान के साथ स्वनिधि योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त कर अपना व्यवसाय सम्पन्न कर रहा है।

जन-औषधि केंद्र

इसी प्रकार जन-औषधि केंद्रों की स्थापना के माध्यम से गरीब व्यक्तियों को सस्ती व उचित मूल्य की गुणवत्तायुक्त दवाईयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से गरीब लोगों को उनके उपयोग वाली जमीन के ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराकर पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। पहले नोटिस मिलने पर गरीब व्यक्ति को परेशानी होती थी। भ्रष्टाचार के चलते उसकी परेशानी और बढ़ जाती थी, आज पट्टा

मिलने से उसके जीवन में सशक्तिकरण हो रहा है, उसके आत्म-सम्मान में वृद्धि हो रही है।

माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव कहना रहता है कि देश के नागरिक श्रेष्ठ होने चाहिए क्षमतावान और कुशल होने चाहिए। उनका मानना है कि इसमें स्वास्थ्य का एक बड़ा योगदान है। स्वस्थ्य नागरिक ही श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। अतः राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत गरीब बच्चों के भी पोषण की व्यवस्था की जा रही है।

जननी सुरक्षा और मातृ वंदना योजना

जननी सुरक्षा योजना तथा उसके अतिरिक्त मातृवंदना योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मातृवंदना योजना के तहत महिला के गर्भवती होते ही माँ तथा बच्चों के लिए पोषण हेतु DBT के माध्यम से 5,000 रू0 की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है, ताकि माँ तथा आने वाला बच्चा जन्म के समय से ही स्वस्थ रहे व श्रेष्ठ नागरिक बन सके। मातृवंदना नाम भी अपने आप में भारतीय संस्कृति के अनुरूप माँ की महत्ता का रेखांकित करता हुआ नाम है, यह हमारे प्रधानमंत्री जी विशाल व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है।

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन के माध्यम हर घर-नल से जल पहुँचाने का काम करके असमानता मिटाने व सभी को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

कोविड-19 की त्रासदी से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण सुनिश्चित हो सके, कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में गरीबी

के कारण टीकाकरण से वंचित न रहे इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

प्रधानमंत्री की बच्चों की कल्याण योजना

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30 मई, 2022 को एक नई योजना कोविड-19 से अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई-PM Cares for Children इस योजना के तहत कोविड-19 के संक्रमण के कारण अपने माता-पिता खो चुके बच्चों की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मानवीय पहलू एवं बच्चों के प्रति संवेदना को प्रदर्शित करता है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को 10 लाख रूपए की सहायता, 4,000 रू0 प्रति माह छात्रवृत्ति व 5 लाख का आयुष्मान कार्ड व अन्य सहायता व सुविधाएँ 23 साल की उम्र तक प्राप्त कराई जाएँगी। जब 30 जनवरी को प्रधानमंत्री जी का पत्र उन बच्चों को सौंपा जा रहा था, वह क्षण काफी भावुक था, बच्चों और उनके रिश्तेदारों की आँखों में आँसू थे, जो उनके प्रधानमंत्री के प्रति भाव को प्रदर्शित कर रहे थे।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर)

प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार व फर्जीवाडे पर अंकुश लगाकर भी गरीब कल्याण की राह को सुनिश्चित किया है। गरीब योजनाओं को आधार से लिंक कर एवं DBT के माध्यम से सीधे पैसा ट्रांसफर की व्यवस्था से 9 करोड़ से अधिक ऐसे फर्जी लोगों के नाम काटे गए हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र न होते हुए भी ले रहे थे। इसके सरकार को 2.25 लाख करोड़ रू. की बचत हुई है जिसका उपयोग गरीब कल्याण में किया जा रहा है।

माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो विदेश नीति में भी गरीब कल्याण को केंद्र में रखते हैं-जब मुझे पुद्दुचेरी चुनाव में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिली तो एक दिन कुछ मछुआरे भूलवश समुद्र में श्रीलंका की सीमा में चले गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव का समय होने पर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें छुड़ाने का दबाव था। प्रधानमंत्री जी उस समय बांग्लादेश की यात्रा पर थे। मेरे द्वारा उनके संज्ञान में यह विषय लाने पर उनके द्वारा वहीं से श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात की गई और 1 दिन के अंदर ही सभी मछुआरे श्रीलंका द्वारा रिहा कर दिए गए। पहले गलती से भी भारत के मछुआरे श्रीलंका में चले जाते थे तो उन्हें छुड़ाने में 6-6 महीने लग जाते थे। जब वो मछुआरे छूट कर आए तो कराइकल पर भारी संख्या में लोग उनके स्वागत को उपस्थित थे और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता के भाव को प्रदर्शित कर रहे थे।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से एक नया भारत जो सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा, सुदृढ़ होगा, आर्थिक सम्पन्न होगा, धीरे-धीरे स्वरूप ले रहा है। एक ऐसा भारत जिसके नागरिक श्रेष्ठ, सक्षम, प्रतिभावान होंगे, एक ऐसा भारत जहाँ असमानता नहीं होगी, एक ऐसा भारत जो विश्व को नेतृत्व प्रदान करेगा, स्वरूप ले रहा है। आज मोदी जी पं. दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के चिंतन को साकार करने का सफल प्रयास कर रहे है और भारत को उन्नत भारत की दिशा में तेजी से अग्रसर कर रहे हैं।

(श्री अर्जुन राम मेघवाल, केन्द्रीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य और सांस्कृतिक मंत्रालय 02 जून 2022 के उद्‌बोधन से।)

8. मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियाँ

नरेन्द्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले कृषि का कुल बजट ऊंट के मुँह में जीरे के बराबर था। 2013 तक कृषि का कुल बजट 23000 करोड़ रहा, जिसमें आधे से अधिक तो अधिकारियों की सैलरी में चले जाते थे अथवा छोटी-मोटी योजनाओं में चले जाते थे या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। आप समझ सकते हैं कि 23000 करोड़ पूरे देश का कृषि का बजट यूपीए की सरकार का था लेकिन अब कृषि का बजट बढ़कर 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें फिसरीज, डेयरी और सहकारिता का मंत्रालय अलग हो गया। जब चारों मंत्रालय साथ में थे तब सबको मिलाकर पहले का बजट 23000 करोड़ था, लेकिन अब सिर्फ कृषि बजट 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपए है। उसमें से भी आधे लगभग 65 हजार करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वह किसानों के लिए और किसान के कल्याण के लिए है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड की योजना अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय में प्रारंभ हुई उसके पहले कोई आपदा आ जाती थी या किसान का कभी नुकसान हो जाता था तो किसान भगवान के भरोसे रहता था या अपने सिर पर हाथ रखकर बैठने के सिवाय उसके पास कोई सहारा नहीं बचता था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया।

एक व्यक्ति का इंश्योरेंस होता था, एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता था, लेकिन किसान अपने हाल पर बैठा रहता था। किसानों के लिए अगर फसल बीमा योजना पहली बार प्रारंभ हुई तो वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय में हुई। उसके बाद में किसानो के लिए योजनाएँ बनना प्रारंभ हुई और दुर्भाग्य से फिर 10 साल तक कांग्रेस की यूपीए सरकार आई, उस बीच में न कोई परिवर्तन हुआ न कोई योजना प्रारंभ हुई।

फसल बीमा

हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का समय आया किसानों के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई, जब अटल बिहारी बाजपेयी जी ने फसल बीमा योजना प्रारंभ की थी तो उसके बाद में UPA की सरकार में सब लोग यह कहते थे कि इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, लेकिन फसल बीमा के अंदर विशेष संशोधन नहीं किया गया और नरेन्द्र मोदी जी के समय में फसल बीमा नीति बनी जिसमें 2 हैक्टेयर तक के नुकसान की बात की गई कि 2 हैक्टेयर तक का नुकसान हो तो उनको दिया जाए और 50 प्रतिशत का नुकसान होता था तब उसको क्लेम मिलता था उसको घटाकर 33 प्रतिशत नुकसान के ऊपर किसान को उसका मुआवजा किसान को मिले और इतना ही नहीं उसको कमिटमेंट के साथ में आज किसान को समय पर उसका मुआवजा मिलता भी जा रहा है।

स्वामीनाथन रिपोर्ट का कार्यान्वयन

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन का विषय जो हमारे सामने आता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जब 2007 में स्वामीनाथन जी ने की थी तो उस समय 11 मंत्रालयों को मिलाकर 1

साल के लिए उन्होंने एक समिति बनाई थी। उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने स्वामीनाथन की 217 सिफारिशों में से 202 पर सहमति जताई थी, लेकिन हमने 217 रिकमंडेशन को मंजूरी दे दी है और उनके ऊपर सरकार पूरी इच्छाशक्ति के साथ काम भी कर रही है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में स्वामीनाथन जी ने जो कहा था उसमें से जों 15 सिफारिशें मंजूर नहीं की गई थी, उसमें एमएसपी की लागत से डेढ़ गुना पर खरीद वाली सिफारिश थी। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई तो एमएसपी की डेढ़ गुना वाली सिफारिश को लागू किया और आज उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय का नाम कृषि एवं किसान कल्याण रखना था, उसको भी यूपीए की सरकार द्वारा खारिज कर दिया, लेकिन हमने मंत्रालय का नाम भी किसान कल्याण मंत्रालय रखा। इससे स्पष्ट होता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो सिफारिशें थी, उनको हमने पूरा करने का काम किया है।

किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ)

किसानों को हमें आगे बढ़ाना है तो यह भी योजना बनाई, जिससे कि छोटे किसानों को संगठित कर सकें उनको मार्केट से जोड़ा जाए, इसके लिए 10 हजार एफपीओ बनाने का लक्ष्य किया। आज हमारे देश में लगभग 5000 किसान उत्पादक संगठन बन चुके हैं और 10 हजार का जो लक्ष्य है उसके लिए हम CBBO के माध्यम से एफपीओ बना रहे हैं। छोटे–छोटे किसान इन एफपीओ की सहायता से अपनी लागत को कम कर पाएँगे और मार्केट में अच्छी वैल्यू में अपनी फसल को बेच पाएँगे। जो 10 हजार एफपीओ बन रहे हैं उनकी सपोर्ट के लिए भारत सरकार की ओर से 15 लाख रुपए इक्विटी ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है और 18 लाख रुपए उनको सपोर्ट देने जैसे ऑफिस किराया, टेलीफोन बिल, लाइट, एक व्यक्ति की सैलेरी और 40 हजार रुपए

रजिस्ट्रेशन फीस भी भारत सरकार व्यय करेगी। उनको 5 साल तक गाइड करने के लिए CBBO का गठन किया गया, जिनको भी 25 लाख रुपए देने का प्रावधान हमारी सरकार में किया गया है। एफपीओ बन रहे हैं और किसान सम्मान निधि में किसानों को पैसा दिया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी कर दी, जिससे 2 लाख एक हजार करोड़ रुपए हमारे 11.5 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना का भी संकट आया जहाँ पूरा देश लॉकडाऊन हो गया था, उस समय किसान की फसल खेत में थी, वह बर्बाद न हो तो इसके लिए मजदूरों को छूट दी गई। किसान की फसल का अत्यधिक उत्पादन हो, उसके लिए खरीफ केन्द्र अधिक से अधिक खोले गए। उस समय जो पेस्टीसाइट्स, ट्रेक्टर या उसके पार्टस की दुकान थी, उनको छूट देना जारी रखा गया। किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी बनाई, किसान की गाड़ी को जाने की छूट प्रदान की गई और उस समय उम्मीद से अधिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब कोरोना आया, तब उस समय भी किसानों का उत्पादन बढ़ा है और अनवरत वृद्धि जारी भी है।

ई-नाम मंडी

मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के हित में योजनाएँ प्रारम्भ की गई, जिस समय मार्केटिंग की आवश्यकता महसूस हुई तो ई-नाम मंडी योजना को प्रारंभ किया गया कि किसान अपने उत्पादन को घर बैठे या अपनी मंडी से दूसरी मंडी में कैसे बेच सकता है, उसके लिए ई-नाम मंडी प्लेटफार्म तैयार किया गया। ई-नाम मंडी के माध्यम से आज देशभर के अंदर जैसा कि कोरोना के समय

से पहले 625 मंडियाँ ई-नाम मंडियों से जुड़ी हुई थी लेकिन कोरोना के बीच में और मंडियों को जोड़ते हुए आज 1000 मंडियाँ डायरेक्ट एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि जितने भी देशभर में एफपीओ हैं, उन एफपीओ को भी ई-नाम मंडी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अगर किसान का एफपीओ गाँव के अंदर है तो वह गाँव से डायरेक्ट देश के किसी भी कोने के अंदर वह अपनी फसल को वहीं एफपीओ सेंटर से बेच सकता है। एफपीओ के साथ भी ई-नाम मंडियों को लिंक कर दिया गया है जिससे किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा और लगातार उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है।

मृदा स्वास्थ्य (भू-स्वास्थ्य)

मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले जो काम किया वह किसानों की हेल्थ के बारे मे चिंता की मिट्टी की हेल्थ की चिंता की। हमारी धरती माता है उसको जिस तरह से बंजर किया जा रहा है या फिर उसके अंदर कौन-से न्यूट्रिएंट हैं, कौन-से नहीं हैं? इसके लिए भी उस समय आपको बताना चाहता हूँ कि सॉयल हेल्थ कार्ड योजना लाई गई, जिसको चुरु, राजस्थान की धरती से 2016 में प्रधानमंत्री जी ने उस समय शुरू किया था और आज पूरे देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड बने हैं जो किसानों को वितरित कर दिए गए, उसके साथ ही लैब भी स्थापित किया गया है, केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्ड बनाकर दे दिए गए बल्कि सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए लैब भी पूरे देश के अंदर स्थापित किए जा रहे हैं।

कृषि अवसंरचना कोष

इसके साथ ही किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्टक्चर फंड का

प्रावधान किया गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्टक्चर फंड के अंदर किसान अपनी फसल का सोर्टिंग, ब्रीडिंग की यूनिट लगा सकता है और पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊस भी लगा सकता है। इस तरह से अगर कोई किसान कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाऊस बनाना चाहता है तो उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्टक्चर फंड का प्रावधान किया गया और सिर्फ कृषि के अंदर ही नहीं मधुमक्खी पालन के लिए भी 23100 करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया वहीं मत्स्य संपदा के लिए भी 20 हजार करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्टक्चर फंड जारी किया गया और पशुपालन के लिए भी 15 हजार करोड़ का बजट का प्रावधान किया और पशु के रोगों के लिए भी 13433 करोड़ का प्रावधान किया ताकि पशु भी सुरक्षित रहे पशु भी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हों। इस दृष्टि से एग्रीकल्चर इंफ्रास्टक्चर फंड कोरोना के संकट के समय में किसान के पास पहुँचाना और घोषण करना मुझे लगता है कि किसानों के आने वाले कल में जीवन में परिवर्तन करने वाली यह योजना बनी है।

किसानों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्टक्चर फंड के अंदर कोई भी किसान या एफपीओ अगर चाहे तो इसके अंदर अपनी सोर्टिंग, ब्रीडिंग या पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊस या कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाऊस लगाता है तो भारत सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। 2 करोड़ रुपए कोई भी मेरा युवा साथी स्थापित कर सकता है और इसके अंदर 2 करोड़ रुपए के अंदर सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें 3 प्रतिशत ब्याज की छूट है और बिना कोई लैटर जमा किये, किसी प्रकार का कोई जमीन का कागज गिरवी रखे बिना, भारत सरकार बैंक को बाध्य किया गया है और यह प्रोजेक्ट के अंदर भारत सरकार का देश में जितने भी कृषि बैंकर्स हैं, उन सभी के साथ MOU हो रखा है और उस MOU के अंदर यही है कि किसान को बैंक के

चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वे ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट को सब्मिट करें और किसान को उसका पैसा बिना बैंक में चक्कर काटे मिलेगा। इसमें एफपीओ के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकता है, इसके साथ ही यह भी आदेश जारी होने वाला है जिसमें 2 करोड़ के स्थान पर 5 करोड़ करने जा रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए तक एग्रीकल्चर इंफ्रास्टक्चर फंड से एफपीओ को भी सपोर्ट मिलेगा और इससे किसानों को बैंक गारंटी भी भारत सरकार की ओर से है, जिससे बैंक किसी प्रकार से मना नहीं करता और मंत्रालय के द्वारा हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग होती है। इस मॉनिटरिंग की वजह से आज प्रोजेक्ट लगातार सैंक्सन होते जा रहे हैं।

उच्च तकनीकी कृषि नीति

कृषि को हाईटैक कैसे किया जाए? नई तकनीक के साथ कैसे जोड़ा जाए? तो इसके लिए देश में पहली बार ड्रोन टेक्नॉलाजी को प्रारंभ किया गया। ड्रोन के माध्यम से अब हमारे देश का किसान खाद का छिड़काव कर सकता है। इससे उसका समय भी बचेगा और कई बार किसान पेस्टिसाइट्स की वजह से बीमार पड़ जाता था या उसके शरीर पर लगने से कुप्रभाव पड़ता था इससे भी उसको मुक्ति मिलेगी और कम समय के अंदर छिड़काव कर पाएगा। इसके लिए हमने राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सब्सिडी के साथ जोड़ा है। केन्द्र का कोई इंस्टीट्यूट है या कोई कृषि विज्ञान है उसमें प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी है वहीं पर यदि कोई व्यक्ति इंडीविज्युअल लेता है तो 40 प्रतिशत सब्सिडी है तथा महिलाएँ या एससी-एसटी लेते हैं तो उसके लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी है। पहले इस देश में स्वतंत्रता नहीं थी कि ड्रोन से छिड़काव किया जाए, भारत आजाद हो गया 75 साल हो गए आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, विदेशों में हम ड्रोन

देखते थे किसानों को छिड़काव करते हुए लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं होता था। पहली बार हमारे यहाँ पर जब टिढ्ढी दल का हमला हुआ था, राजस्थान, पंजाब और गुजरात की सीमा से होते हुए, जब पूरे देश के अंदर आगे टिढ्ढी दल बढ़ रहा था, तब उस समय प्रधानमंत्री जी ने विशेष छूट दी कि हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं और पहली बार ड्रोन का प्रयोग लोकेस्ट को खत्म करने के लिए किया गया। अब किसान विदेशों की तरह अपने यहाँ पर भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है और अब किसान आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेगा, किसानों के लिए हाइड्रोपॉनिक्स, एयरोपॉनिक्स, जैसी खेती की संभावनाएँ खुली हैं और किसान इस तरह की हाईटेक खेती से जुड़ भी रहा है। किसान की आय कैसे बढ़े? इसके लिए सरकार हाइटैक खेती की ओर बढ़ रही है और उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज हो रही है।

किसान रेल

मुझे यह भी बताना है कि किसानों के लिए सुविधा भी की गई, नॉर्थ ईस्ट के जो किसान हैं या फिर कुछ ऐसे किसान हैं महाराष्ट्र के अंदर नासिक में प्याज अधिक पैदा होता है या कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर जैसे किन्नू बहुत ज्यादा पैदा होता है या अलग-अलग फसल जो जहाँ अधिक पैदा होती है। उसके लिए किसान रेल प्रारंभ की गई कि जैसा किसान का उत्पादन है वैसे का वैसा सुरक्षित, किसान का उत्पादन पहुँचे उसके लिए पूरी ट्रेन कोल्ड होती हो, जैसा माल किसान डालता है, वैसा ही उस गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता है। आज तक 1640 किसान रेल चलाई गई हैं और किसान रेल के माध्यम से लॉजिस्टिक की जो समस्या थी और किसान को इस बात के लिए हमेशा परेशान होना पड़ता था मंडी तक पहुँचने के लिए जिस तरह से ट्रकों के अंदर अधिक किराया होता था, वे परेशान होते थे उससे किसानों को निश्चित रूप से किसान

रेल चलाने से इससे मुक्ति मिली है।

डीएपी-नीम लेपित यूरिया

यूरिया, डीएपी की जिस तरह से कालाबाजारी होती थी, हम सब जानते थे कि किस तरह से भीड़ लग जाती थी कितना भ्रष्टाचार होता था। नीम कोटेड यूरिया को भी प्रारंभ किया गया और नीम कोटेड यूरिया के अंदर सब्सिडी देने का भी काम किया जा रहा है। डीएपी बैग 1200 रुपए के अंदर दिया जा रहा है, वहीं डीएपी की जो इंटरनेशनल स्तर पर हम खरीद करते हैं वह लगभग 4000 के ऊपर है। यूपीए की सरकार के अंदर जिस तरह से यूरिया डीएपी के लिए लाइनें लगती थी, हंगामें होते थे, जिस तरह से लाठीचार्ज किया करते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि अब कोई लाठीचार्ज सुनने को नहीं मिला होगा। अगर सब्सिडी की बात हो तो किसान के ऊपर बोझ नहीं होने दिया।

नई तकनीक का प्रचार

नई टेक्नोलॉजी और यंत्रीकरण को भी हमने बढ़ावा दिया, रोटावेटर हो या जितने भी हमारे इक्युपमेंट्स हैं, जितने भी हमारे थ्रेसर हैं या कल्टीवेटर हैं, उनको हमने किसानों तक यूपी, दिल्ली पंजाब, हरियाणा आदि के अंदर नि:शुल्क या बहुत कम मूल्य पर भी देने का काम किया है, जिससे कि जो पराली की भयंकर समस्या थी, उससे भी हमें मुक्ति मिले।

किसान सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री जी ने शुरू के समय केसीसी प्रारंभ किया, लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड जो मुझे बताना है आप सबको कि कोरोना के अंदर हमने एक अभियान चलाकर और केसीसी के धारकों की संख्या बढाई

है, केसीसी पहले जो मिलती थी लगभग सात लाख करोड़ रुपए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इनका बजट था, लेकिन आज 16 लाख करोड़ रुपए किसान के पास में केसीसी के माध्यम से हम दे रहे हैं। उस समय लगभग 6 करोड़ किसान केसीसी से जुड़े हुए थे, लेकिन इस कोरोना के बीच में ही हमने 3 करोड़ किसानो को बढ़ाया और आज 9 करोड़ किसान केसीसी का लाभ उठा रहे हैं।

किसान मानधन योजना

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सिंचाई योजना का भी बजट बढ़ाया गया। कृषि सिंचाई योजना का बजट जस्ट डबल कर दिया गया। यूपीए की सरकार के अंदर जो कृषि का बजट था, वह 5100 करोड़ था, अब वह 10,250 करोड़ रुपए कृषि सिंचाई का बजट किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कि किसान के लिए पेंशन योजना प्रारंभ की, जब साठ साल से अधिक के किसान हो जाएँगे तो उस समय किसान को 3 हजार रुपए प्रतिमाह उनको पेंशन के रूप में मिले, ऐसे लगभग 30 लाख किसान आज इस योजना से जुड़े और उन किसानों को इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए जिस तरह से ये सारी योजनाएँ आज प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि इसका किसान के जीवन के ऊपर क्या असर हो रहा है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उसको चरितार्थ भी किया।

अगर देखना हो तो अपने क्षेत्र की ही बात बताना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उस समय जब यहाँ आए थे, तब लोक सभा के चुनाव थे। उस समय उन्होंने जनता से यह

कहा था कि सभी लोग जानते हैं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर रेगिस्तान है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की फलदार खेती की हमने अपेक्षा भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस समय मंच से कहा था कि यहाँ पर फलदार पौधे लगेंगे और यहाँ पर फलों वाली खेती होगी, यह मेरा आपसे वायदा है, लेकिन उस समय जनता ने विश्वास किया या नहीं किया। बल्कि मेरे खुद के मन में शंका थी, क्योंकि इससे पहले कई सांसद आए थे, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ अंगूर की खेती करेंगे, लेकिन कभी अंगूर देखा न सेब देखे न कोई अन्य फल, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और प्रधानमंत्री बने उसके बाद में आज वहाँ पर जो कृषि सिंचाई योजना के तहत फंड पहुँचा और किसानों को लाभ मिला, उसकी वजह से आज उस रेगिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा खजूर पैदा होता है, जिसकी कीमत किसान को 2,000 रुपए प्रति किलो ग्राम मिल रही है और वहीं पर अनार हो रहा है, जो आज हिंदुस्तान में हब के रूप में बन चुका है। अंजीर मेरे उस क्षेत्र के अंदर पैदा होने लग गई और आने वाले समय के अंदर मशरूम की खेती भी वहाँ पर होने लगेगी, तो यह मशरूम की खेती और इसकी बात करते हैं तो लगता है कि क्या यह संभव है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए योजना बनाईं और वो धरातल पर पहुँची, तभी यह सब संभव हो रहा है।

एम.एस.पी. पर खरीद

आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों के लिए जो वास्तव में जीडीपी की उस समय बात की थी और यूपीए की सरकार में जो बात हुई थी, यूपीए की सरकार के आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ कि खाद्यान का उत्पादन यूपीए की सरकार में जो होता था वह 246 मिलियन टन होता था और अभी पिछले साल का जो

उत्पादन है वह 308 मिलियन टन हमारा उत्पादन हुआ है। दलहन में भी यूपीए की सरकार में 17.5 मिलियन टन होता था अपने इस समय में वह 25.72 मिलियन टन उत्पादन है, वहीं पर अगर ई-नाम मंडी की बात करे तो यूपीए की सरकार में ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन अब 1000 ई-नाम मंडी स्थापित हो चुकी हैं। इसी के साथ खाद्यान्न के अंदर जैसा कि एमएसपी के ऊपर हमने खरीद की, एमएसपी लागत से डेढ़ गुना हमने करने का जिक्र किया और एमएसपी पर जो खरीद यूपीए की सरकार में 2010-2013-14 तक हुई उसमें 3168 लाख मीट्रिक टन और अपने समय में तो प्रतिशत के आधार पर 154 प्रतिशत ज्यादा हुआ। फसल बीमा में हमने लगभग 24 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया है, लेकिन किसानों को क्लेम 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का दिया, लेकिन कांग्रेस के समय में यह नगण्य था। मशीनों की अगर बात करें तो 10 लाख 47 हजार माशीनों का वितरण हुआ और अपने समय में 33 लाख 51 हजार मशीनों का वितरण हुआ है। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी यूपीए के समय में 41 हजार करोड़ रुपए थी और अपने समय में 65 हजार करोड़ रुपए के लगभग है।

स्वस्थ किसान स्वस्थ जन

देश के अंदर जिस तरह से फर्टिलाइजर्स और यूरिया का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस के समय में आप और हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कृषि को और देश के आम जन को स्वस्थ रखने के लिए संकल्प लिया कि आम नागरिकों को स्वस्थ भोजन मिले खाद्यान्न मिले जिसकी वजह से वह स्वस्थ रह सके, इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा भी दिया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो ऐसी प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं उनको 12 हजार रुपए सपोर्ट देने का भारत

सरकार ने प्रावधान किया है और बजट में भी इस बार अलग से प्रावधान किया है। लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए भू-आधारित खेती हो, जिससे लागत में कमी आएगी। मेरे हिमाचल प्रवास के दौरान प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से मिलने का अवसर मिला, उन्होंने मुझे बताया कि एक-एक हैक्टेयर के अंदर लागत में एक-एक और दो-दो लाख की बचत हुई है। उन्नत किस्म के बीज के लिए भी आईसीएआर ने कई वैराइटी निकाली हैं। यूपीए के समय में जो वैराइटी आई थी वह 1115 पांच साल में आई थी, लेकिन हमने 1956 वैराइटी ईजाद की है, जिसमें ऑर्गेनिक की 68 नई वैराइटी भी देश को समर्पित की गई है।

(श्री कैलाश चौधरी, केन्द्रीय राज्य मंत्री कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 03 जून 2022 को दिए उद्‌बोधन से।)

9. मोदी सरकार की विदेश निति

- 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुझाव दिया कि हमारी विदेश नीति को उन्नत किया जाए; जिसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए :
  - भारत के प्रति विश्व का नजरिया कैसे बदलें।
  - भारत की प्रतिभा और क्षमताओं को दुनिया के सामने पेश करने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - समान शर्तों पर नए गठबंधन बने।
  - वैश्विक एजेंडा (जलवायु परिवर्तन, काला धन) को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका लेना।
  - विदेश नीति देश के विकास पर केंद्रित हो।
  - विदेश नीति जन केंद्रित हो।
  - वैश्विक कार्यस्थल पर भारत की प्रतिभाओं के लिए अवसरों को सुगम बनाया जाए।
  - प्रवासी भारतीय पर अधिक ध्यान दें, ताकि यह भारत और दुनिया के बीच एक सेतु का काम करे।
  - नीतियाँ बनाते समय हमारी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सकारात्मक वैश्विक दृष्टिकोण

- पिछले सात वर्षों में वैश्विक दृष्टिकोण कैसे बदला
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दुनिया ने सराहा है और भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया।

- प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण समय दिया। उन्होंने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा देशों की यात्रा करने का प्रयास किया।
- 2014 में शपथ ग्रहण समारोह से ही एजेंडा निर्धारित किया गया था और प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के लिए सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। भारत के इतिहास में यह एक अनूठी पहल थी। यह अपने आप में संबंधों को मजबूत करने के हमारे इरादे को दर्शाता है।
- 'पहले पड़ोस' (नेबरहुड फर्स्ट) अब हमारी विदेश नीति के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है।
- सितंबर 2014 में जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया, तो इस दौरान उन्होंने भारत के नए दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। प्रवासी भारतीयों के साथ 'मैडिसन स्क्वायर गार्डन' में बातचीत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक नया आयाम बन गया है। इससे पहले कभी भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी विदेशी भूमि पर इतनी विशाल सभा को संबोधित नहीं किया।
- भारतीय संस्कृति की शक्ति को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया और इसे सबसे आगे लाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इसका उदाहरण है। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव से यूएनओ ने 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में चिह्नित करने का निर्णय लिया।
- हम वैश्विक आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर दुनिया की विचार प्रक्रिया को बदलने में सफल हुए। हम जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, आतंकवाद आदि के वैश्विक एजेंडा पर एक शक्तिशाली आवाज के रूप में भी उभरे हैं।

- पेरिस कॉप-21 पीएम के नेतृत्व के कारण सफल रहा।
- भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सर्जक और आधार बन गया, अब तक 121 देश इसमें शामिल हो चुके हैं और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है।
- भारत अब किसी भी आपदा में एक विश्वसनीय भागीदार बनकर उभरा है और हमारे पड़ोसी देशों ने इस बात को महसूस भी किया है। भारत को अब एक बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी और पड़ोसी के रूप में देखा जाता है। एक नए अनौपचारिक आपदा सहयोग में भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है।
- सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक मंच पर लाया गया है। यह विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण है।
- एफएटीए: पाकिस्तान को कई वर्षों से 'ग्रे' सूची में रखा गया है। हम पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखने में सफल रहे हैं।
- हम यह सुनिश्चित करने में भी सफल रहे हैं कि आतंकवादी सरगनाओं (भारत में अशांति पैदा करने वाले) को प्रतिबंधों की सूची में रखा जाए।
- भारत द्वारा काले धन और टैक्स चोरी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। भारत अब ऐसी रणनीतियाँ तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है जो यह सुनिश्चित करती है कि 'टैक्स हेवन' से लाभान्वित होने वाले लोगों को भी न्यूनतम कराधान प्रणाली में लाया जाए।

कोविड महामारी

- भारत ने वैश्विक स्तर पर नेतृत्व किया और इस बात का स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अन्य राष्ट्रों की भी परवाह करता है। इस दौरान हमारा मानवीय दृष्टिकोण सर्वोपरि रहा।
- भारत ने इस समय के दौरान सभी देशों की मदद की, इस दौरान भारत ने एचसीक्यू से लेकर पैरासिटामोल, वैक्सीन या कुछ वस्तुओं की आपूर्ति को जारी रखा।
- अगर कोई एक उदाहरण है कि किस देश ने महामारी के दौरान पूरे दिल से दूसरों की मदद की है, तो वह भारत है।
- भारत ने वैक्सीन आयातक होने से लेकर वैक्सीन निर्यातक बनने तक का लंबा सफर तय किया है।
- भारत ने 'वैक्सीन मैत्री' कार्यक्रम के तहत नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और ईरान जैसे देशों को टीकों का निर्यात किया है और कोवैक्स निर्माण में भी योगदान दे रहा है।
- महामारी के दौरान भारत ने 100 देशों को 200 मिलियन से अधिाक कोविड खुराकों की आपूर्ति की है, जिनमें से 14.8 मिलियन सहायता अनुदान के रूप में, 143.8 मिलियन व्यावसायिक रूप से और 42.5 मिलियन कोवैक्स को आपूर्ति की गई है।
- महामारी के दौरान चीन से छात्रों की सुरक्षित निकासी को अंजाम दिया गया।

वैश्विक त्रासदियों में भारत

- कई संकटों के दौरान मानवीय सहायता प्रदान की गई, उदाहरण

के लिए नेपाल भूकंप के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने निर्देश दिया कि हमारे बचाव दल को उसी दिन साइट पर पहुँचना होगा।

- यमन युद्ध: हमने कई देशों के हजारों लोगों को निकाला।
- विश्व में भारत की छवि संकट में 'प्रथम उत्तरदाता' (फर्स्ट रेस्पॉन्डर) के रूप में उभरी है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध: भारत ने फरवरी, 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से लगभग 22,500 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी को सुनिश्चित किया।
- रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के दौरान भारत की रणनीतिक तटस्थता की विश्व स्तर पर सराहना की गई है। भारत ने हिंसा की निंदा की और यूक्रेन को आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान की। आम लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दोनों देशों के साथ बातचीत की। भारत ने इस दौरान किसी का पक्ष नहीं लिया, जो हाल के वर्षों में हासिल की गई वैश्विक कूटनीति के बारे में बहुत कुछ बताता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

- हमने सशक्त तौर पर डोकलाम और लद्दाख संकट का सामना किया।
- इस संकट के दौरान हुई बातचीत के नतीजे दुनिया को यह एहसास दिलाते हैं कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है।
- भारत ने फ्रांस से राफेल, रूस से एस-400, यूएसए से हेलीकॉप्टर खरीदे। भारत अब अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने में सक्षम हुआ है।

प्रवासी भारतीय

- हमारे पास 3.5 करोड़ से अधिक के भारतीय प्रवासियों का समुदाय हैं।
- हमने 'वंदे भारत' मिशन के तहत महामारी के दौरान हजारों लोगों को निकाला। हम 70 लाख लोगों को घर वापस लाए।
- हमारे पास कई वर्षों तक सामुदायिक कल्याण कोष थाय विश्वास के दृष्टिकोण के साथ और नौकरशाही की बाधाओं को दूर कर, हमने अपने दूतावासों की मदद से महामारी के दौरान इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया।
- अधिक जन केंद्रित नीतियों को अपनाया गया। हमने पासपोर्ट प्राप्त करने में आसानी सुनिश्चित की। हमने डाक विभाग/डाकघरों के साथ भागीदारी की और अब पांच सौ से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं।
- 'मदद' पोर्टल संकट में फंसे लोगों के लिए बनाया गया था, खासकर खाड़ी देशों में रहने वाले हमारे भारतीय इसका लाभ ले रहे हैं।
- नए दृष्टिकोण के साथ अब हमारे दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है।
- शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले छात्रों को रोजगार के अवसर देने के लिए भारत विदेशी हितधारकों के साथ विभिन्न समझौतों पर भी काम कर रहा है।
- मित्र देशों में बुनियादी ढांचे के विकास का विदेशों में प्रभाव दिखाई दे रहा है।

पड़ोसी देशों में नई परियोजनाएँ

- हमने पिछले सात वर्षों में पड़ोसी देशों में कई परियोजनाएँ पूरी की है, जैसे-
- नेपाल में अस्पताल,
- अफगानिस्तान में संसद भवन और बांध,
- मॉरीशस में सुप्रीम कोर्ट की इमारत का तेजी से कार्यान्वयन,
- भूकंप के बाद नेपाल में 47,000 घरों का निर्माण।

नई साझेदारी

दुनिया ने भारत की क्षमताओं को पहचाना

- पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन ने भारत के साथ आभासी बैठक को पहली प्राथमिकता दी। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बाइडेन ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक के रूप में क्वाड बैठक की।
- रूस ने हमें एससीओ में आमंत्रित किया।
- सौर गठबंधन ने फ्रांस के साथ भागीदारी की।
- मानवीय सहायता: कई देश एक साथ आए हैं।
- भारत के पास अब मिसाइल नियंत्रण, रासायनिक हथियारों जैसे समूहों की सदस्यता है।
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नई साझेदारियों को सुनिश्चित किया गया।
- 'विदेश नीति' विदेशी भूमि तक ही सीमित नहीं रहती
- हमें तकनीक, निवेश की जरूरत है।
- बुलेट ट्रेन को लेकर जापान के साथ मिलकर एक परियोजना

को लागू किया गया है।

- उत्तर पूर्व में जापानी निवेश (जापानी सहायता से गुवाहाटी के सीवेज सिस्टम का उन्नयन, बनारस में कन्वेंशन सेंटर)।
- स्मार्ट सिटी साझेदारी यूरोप के साथ।
- स्वच्छ प्रौद्योगिकी सहायता फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे के साथ।
- भारत में अब कई अमेरिकी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं।

भारत की बदली छवि

- पहली बार यूरोपीय संघ के सभी प्रमुखों ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक की।
- भारत द्वारा आयोजित अफ्रीकी सम्मेलन में 41 राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति देखी गई।
- 2018 के गणतंत्र दिवस में एशियाई देशों के 10 प्रमुखों की उपस्थिति देखी गई।
- गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आ सके, लेकिन बाद में आए और प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ एक भव्य कार्यक्रम में भाग लिया।
- रूसी राष्ट्रपति के साथ उत्कृष्ट संबंध और उनके साथ नियमित बैठकें होती रहती हैं।
- चीन के साथ समान स्तर पर व्यवहार करना।
- वैश्विक चुनावों में भी भारत ने अपनी ताकत दिखाई है; भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सीट मिली और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में ब्रिटेन जैसे स्थायी सदस्य को हराकर आईसीजे में अपने स्थान सुनिश्चित किया।

- कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदीजी को पुरस्कारों से सम्मानित किया, यह भारत और भारतीय प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- संयुक्त अरब अमीरात में एक हिंदू मंदिर का निर्माण इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारी कूटनीति को मजबूती मिल रही है।

चुनौतियाँ

- विभिन्न देशों ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या सीएए जैसे मुद्दों पर भारत का विरोध किया है। हमें इनको लेकर भ्रम के माहौल को दूर करने में काफी हद तक कामयाब हो पाए है।
- विदेश नीति केवल विदेश मंत्रालय नहीं है, यह पूरी सरकार है जो एक साथ काम करती है। इतने कम समय में विदेश मामलों में इतना कुछ हासिल करने के लिए कई मंत्रालयों ने वैश्विक परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समन्वय के साथ काम किया है। ऐसे ही आगे भी परस्परा समन्वय से काम करते रहने की आवश्यकता है।

10. हमारा रक्षा सामर्थ्य

''एक सरकार को न् केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि राष्ट्र की समृद्धि, विकास और अंतरराष्ट्रीय स्थिति को लेकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।'' चाणक्य के इन शब्दों को मोदी की शासन व्यवस्था में बहुत अच्छी तरह से स्वीकार और लागू किया गया है। वास्तव में, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनसंघ की परंपरा में निहित रहे हैं। वाजपेयी सरकार ने इसे समकालीन भारत के लिए परिष्कृत किया और मोदी सरकार वर्तमान सदी के लिए इसे लागू कर रही है।

2014 के संसदीय चुनावों में भाजपा ने घोषणा की कि उसकी सरकार सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। सरकार के गठन के बाद से भाजपा सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर रही है, अर्थात् i) देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना; ii) जनता में डर का माहौल न हो; iii) राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमा पार जाने की झिझक को तोड़ना iv) समान सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग करना; v) सैन्य आधुनिकीकरण।

सीमा प्रबंधन

सीमा प्रबंधन आज भी देश की सुरक्षा के अहम मुद्दों में शामिल है। इस उद्देश्य के लिए सरकार प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, खुफिया, कानूनी, नियामक और आर्थिक गतिविधियों को काफी कुशलता से परस्पर एक-दूसरे का सहयोगी बनाने की दिशा में काम कर रही है। मोदी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप घुसपैठ की घटनाओं में भारी

कमी आई है। उचित सीमा प्रबंधन के कारण पाकिस्तान के छद्म युद्ध को झटका लगा है।

मोदी सरकार ने सशस्त्र सीमा प्रबंधन शैली को कुछ अनूठे नवाचारों के साथ जोड़ा है। यद्यपि 'एक सीमा, एक सीमा सुरक्षा बल' के सिद्धांत को जारी रखा, सरकार ने पड़ोसियों को देखते हुए उनसे लगने वाली सीमाओं की समस्याओं के अनुसार हल निकालने का प्रयास किया है।

भारत की 15200 किलोमीटर लंबी सीमा और 7516.6 किलोमीटर समद्री तट दशकों से भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या खड़ी करती रही है। हाल के वर्षों में भारत सीमा चौकियों को बढ़ा रहा है। सरकार ने 2,078 किमी क्षेत्र में लडलाइट और 2,091.046 किमी क्षेत्र में बाड़ लगाने को मंजूरी दी है।

भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली सीमाओं को लेकर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है। सेंसर और अन्य आधुनिक तकनीक के उपयोग के कारण इसे साधारणत: से स्मार्ट फेंसिंग या वर्चुअल फेंसिंग भी कहा जाता है। यह नदी के किनारे, पहाड़ियों और जंगलों जैसे कठिन इलाकों के प्रबंधन में बहुत मदद करती है।

बांग्लादेश के साथ भारत 4,096.7 किमी की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा अवैध घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध रही है। सरकार ने बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ गलियारों को स्वीकृति दी है, सड़कों का विकास किया और राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को आरंभ किया है।

भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत और चीन अभी तक अपने सीमा विवाद का कोई स्थायी हल नहीं निकाल पाए है। चीन सदियों से मान्यता प्राप्त परंपरागत अभ्यास, संधियों और समझौतों को लेकर अपनी सहमति दिखाने में झिझकता रहा है।

अभी तक भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं है, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों ने कई समझौतों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भी चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख से सटे सीमावर्ती इलाकों में और इससे पहले पूर्वी सेक्टर के डोकलाम में अपने सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा बनाये रखा।

हालांकि, भारत ने चीन द्वारा यथास्थिति में एकतरफा बदलाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीन की किसी भी आक्रामक और भड़काऊ कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को तैनात किया गया। भारतीय दबाव के कारण अधिकांश क्षेत्रों से चीन की अवैध तैनाती को पीछे हटना पड़ा। शेष क्षेत्रों में जहाँ अभी भी चीनी सैनिक तैनात हैं, उनको लेकर चीन और भारत में वार्ता हो रही है और जल्द ही उसे पीछे हटना होगा। भारत सीमा से सटे इलाको में चीन के बुनियादी ढाँचे के विकास पर भी उचित प्रतिक्रिया दे रहा है।

समुद्री सुरक्षा

भारत की 7,516.6 किमी की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर तक है। मोदी सरकार तटीय, अपतटीय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रही है:

- देश के समुद्री क्षेत्रें की निगरानी और गश्त के लिए समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं को बेहतर बनाया गया है।
- तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की उन्नत तकनीकी के माध्यम से निगरानी की जा रही है।
- अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए संस्था की स्थापना।
- समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों का बेहतर विनियमन।
- मछुवारों और तटीय समुदायों के बीच बेहतर समन्वय।

समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में 'मिशन आधारित तैनाती' के तहत भारतीय नौसेना के जहाजों और विमानों को तैनात किया गया है। यह समुद्री निगरानी को सुगम बनाता है और आपातकालीन स्थिति से भी निपटने में सहयोग प्रदान करता है। हमारी विस्तारित समुद्री सुरक्षा नीति में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए 'सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर)' और समुद्री सुरक्षा रणनीति जैसे अभियानों को चलाया जा रहा है।

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र निगरानी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर समन्वित गश्त, समुद्री अभ्यास आदि में क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ जुड़ाव के कारण सुधार हुआ है। मित्र देशों के साथ समुद्री सूचना के आदान-प्रदान को लेकर बेहतर तालमेल देखा गया है।

9 अगस्त, 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में अपने भाषण में ''समुद्री सुरक्षा में सुधार: अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुद्दा'' पर उच्च स्तरीय खुली बहस के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा के लिए पाँच बुनियादी सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। ये पाँच बुनियादी सिद्धांत हैं: i) वैध समुद्री व्यापार से बाधाओं को हटाना; ii) केवल अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, iii) प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा उत्पन्न समुद्री खतरों के लिए संयुक्त वैश्विक रणनीतिय iv) समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों का संरक्षण; और v) जिम्मेदार समुद्री समन्वय को बढ़ावा देना।

आंतरिक सुरक्षा

मोदी सरकार देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का गहन मूल्यांकन करती आयी है और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का निरंतर प्रयास कर

रही है। केंद्र और राज्य स्तर पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के कार्यों में समन्वय लाने के लिए प्रभावी प्रयास किये गये हैं। देश के भीतरी इलाकों में आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में उग्रवाद थम गया है। अन्य राज्य, जो उग्रवाद का सामना कर रहे हैं, वहाँ भी बेहतर समाधान मिल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने निर्णायक नियंत्रण हासिल कर लिया है। राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के हताश कृत्यों को वर्तमान प्रशासन द्वारा सुरक्षा एजेंसियों की मदद से सफलतापूर्वक विफल किया जा रहा है।

अनुच्छेद 370 को हटाने और नए प्रगतिशील कानूनों के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर में सर्व-समावेशी विकास के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। अब महिलाएँ, पहाड़ी लोग और समाज के दलित वर्ग विकास की मुख्य धारा से ठीक से जुड़े रहे हैं।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण नक्सल खतरों से लड़ने की सरकार की क्षमता को बढ़ा रहा है। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो मोदी सरकार के दौरान नक्सलवाद भी खत्म होने की कगार पर है। सुदृढ़ और पुनर्गठित मल्टी एजेंसी सेंटर, संबंधित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ वास्तविक समय पर खुफिया जानकारी साझा करने के लिए 24x7 आधार पर कार्य कर रहा है।

रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण

मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में लाइसेंसिंग, डीरेग्यूलेशन, निर्यात प्रोत्साहन और विदेशी निवेश उदारीकरण की दिशा में कदम उठाए हैं। रक्षा बजट, जो 2013-14 में 2,53,346 करोड़ रुपये था, अब दोगुने से अधिक होकर 2022-23 में 5,25,166 करोड़ रुपये हो गया है। रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण और

बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

देश में नई, भविष्यवादी या उभरती प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है। भारत उत्तरोत्तर रक्षा क्षेत्र में आयात कम कर रहा है और स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के लिए 2018-19 से 2020-21 के दौरान रक्षा वस्तुओं का आयात 46 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गया है। महत्त्वपूर्ण रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों के उत्पादन का मूल्य 2019-20 से 2020-21 के दौरान 84,643 करोड़ रुपये था। मोदी सरकार ने भारत की रक्षा तैयारियों के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है:

- तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना।
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) की क्रमश: 2851 वस्तुओं और 107 लाइन प्रतिस्थापन योग्य इकाइयों (एलआरयू) की दो 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची'।

- लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण।
- रक्षा क्षेत्र के लिए नवाचारों का शुभारंभ।
- केंद्रीय बजट 2022-23 ने उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत आवंटित किया। 18 (अठारह) प्रमुख प्लेटफॉर्म रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में निर्धारित विभिन्न मार्गों के तहत उद्योग के नेतृत्व वाले डिजाइन पर कार्य किया जा रहा हैं- 2020, अर्थात्, मेक-I, मेक- II, स्पेशल पर्पस व्हीकल और

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX)।

- o इन प्रमुख प्लेटफार्मों पर भारतीय उद्योग की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद निर्णय लिया गया है।

  कारक–लागत प्रभावशीलता, तेज और मापनीय; प्रौद्योगिकी प्रगति; भविष्य के युद्ध की आवश्यकता; परिचालन चुनौतियाँ; इन प्लेटफार्मों को आर्वंटित करने के लिए आयात प्रतिस्थापन आदि की आवश्यकता पर विचार किया गया।

- o उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल।

- 1 अप्रैल, 2022 तक 19,509 आयातित रक्षा वस्तुओं को स्वदेशीकरण के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया था। भारतीय उद्योग ने अभी तक 4006 रक्षा मदों में रुचि व्यक्त की है।
- रक्षा निर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए ऑफसेट नीति में सुधार किया गया है।
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना।

प्रौद्योगिकी विकास कोष

सरकार ने रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए उद्योगों विशेषकर एमएसएमई और स्टार्टअप्स को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 'प्रौद्योगिकी विकास कोष' को निधि आर्वंटित की है। प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुदान सहायता के रूप में सार्वजनिक/निजी उद्योगों विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप को कुल परियोजना मूल्य का 90 प्रतिशत या 10 करोड़ रुपये तक दिया जाता है, इस राशि से उन प्रौद्योगिको को विकसित किया जाता है, जो देश में उपलब्ध नहीं है। 1 अप्रैल, 2022

तक 30 परियोजनाओं को इस तरह का अनुदान दिया गया है।

सामरिक हथियार

जैसाकि प्रधानमंत्री अटलजी ने मई, 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण से दुनिया को चौंका दिया, वैसे ही प्रधानमंत्री श्री मोदी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत एनडीए सरकार की नीतियों को और पुख्ता कर रहे है। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से भारत अपने हथियारों का खुलासा नहीं करता है, वर्तमान सरकार ने देश की मजबूत विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता सुनिश्चित की है। भारत ने अपने परमाणु हथियार अपनी सुरक्षा के लिए विकसित किए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। हथियारों की डिलीवरी के लिए आवश्यक परमाणु तंत्र देश के पास है। भारत ने हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। भारत ने बाहर से निगरानी के लिए उन्नत ड्रोन हासिल किए हैं। हालांकि, जिस तरह से ड्रोन तकनीक विकसित हो रही है, उसमें परमाणु हथियार ले जाने और गिराने वाला ड्रोन भी विकसित किया जा सकता है।

जब मोदी सरकार ने उरी और बालाकोट आतंकी घटनाओं के बाद पाकिस्तान की सीमा के अंदर मौजूद आतंकी केंद्रों पर हमले का आदेश दिया तो भारत ने पाकिस्तान के परमाणु युद्ध के मिथक को भी तोड़ दिया। पाकिस्तान की 'परमाणु ब्लैकमेलिंग' को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि सरकार अपनी पहले इस्तेमाल न करने की नीति और परमाणु सिद्धांत के अन्य घटकों के साथ खड़ी है, इसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि यदि परिस्थितियों की मांग हुई, तो वह अपने सिद्धांत की समीक्षा और संशोधन कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सहित कई देशों ने अपने परमाणु सिद्धांतों को बदल दिया है, जिसमें पहले उपयोग की नीति भी शामिल थी।

साइबर सुरक्षा

मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचाने वाले साइबर हमलों की संख्या काफी कम आयी है। संयुक्त साइबर संचालन को देखते हुए रक्षा साइबर एजेंसी को साइबर सुरक्षा का प्रबंधन दिया गया है। सशस्त्र बलों के प्रत्येक विंग में साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल मौजूद हैं। साइबर ऑडिट, भौतिक जाँच और नीति दिशानिर्देश सशस्त्र बलों को मजबूत साइबर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।

साइबर समन्वय केंद्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य सरकारी संगठनों के बीच साइबर से संबंधित सभी मामलों को साझा करने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। सरकार अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को लगातार अपडेट कर रही है।

रक्षा निर्यात

2014 के बाद से भारत के रक्षा निर्यात की राशि में लगभग छह गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए पूरी तरह से एंड-टू-एंड ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया गया है। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और यहाँ तक कि लाइसेंस भी डिजिटल रूप से जारी किए जाते हैं।

शहीदों का सम्मान और प्रेरणा

- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक: जनवरी, 2019 में उद्घाटन
    - o स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न युगों और अन्य संघर्षों जैसे संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन, मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया संचालन के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए।

- प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध के दौरान भारत के शहीदों को सम्मानित करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा निर्मित इंडिया गेट मेमोरियल को बेहतर बनाया गया। इंडिया गेट स्मारक में 83,000 से अधिक शहीद भारतीयों में से केवल 13,516 शहीद का नाम दर्ज है।

पिछले आठ वर्षों में मोदी सरकार ने रक्षा नीति और रणनीति के प्रतिमान को बदल दिया है। कई मौजूदा नीतिगत उपकरणों को संशोधित किया गया। नए प्रावधान लाये गये हैं। पाकिस्तान, चीन और म्यांमार के साथ एक सक्रिय रक्षा नीति को अपनाया गया है। केन्द्र सरकार ने सशस्त्र बलों और लोगों में विश्वास जगाया कि सरकार चीन के सामने खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान की जमीन पर हमले, जो कभी अकल्पनीय थे, उनको संभव किया गया है। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को एक नये जोश के साथ वास्तविकता बनाया जा रहा है। समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राफेल विमानों ने देश की वायु शक्ति को मजबूत किया है।

रक्षा में स्वदेशीकरण अब एक सपना नहीं बल्कि एक जमीनी हकीकत है। स्वदेशी इंजन के साथ तेजस एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत कर सकता है। जल्द ही देश के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तोपें होंगी और जो स्वदेशी तौर पर विकसित हुई हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें के साथ नये अध्याय लिखे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मोदी सरकार देश को एक नये लक्ष्य की ओर ले जा रही है। सुरक्षा अनिवार्य रूप से सर्वोपरि है और रक्षा और हथियार नीति इसका मार्गदर्शन करती है।

11. मीडिया प्रबंधन

वर्ष 2014 और 2019 के लोक सभा चुनावों में और देशभर के विधानसभा चुनावों में देश की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया। इससे हमें अपने विस्तार का मौका मिला है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन की वैचारिक आधारभूमि पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सुअवसर भी मिला है। भाजपा की विचारधारा में राष्ट्रहित और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना एक सुविचारित उद्देश्य है। हमारी मीडिया प्रबंधन की व्यवस्था और हमारी मीडिया नीति में यह सब परिलक्षित होना चाहिए।

जनसंचार मूलरूप से समाज में संवाद का सशक्त माध्यम है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के रूप में निरंतर इसका प्रभाव विस्तार हो रहा है। पारंपरिक जनसंचार के मूल रूप है, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और अनेक प्रकार के आउट्डोर मीडिया।

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव में भी पारंपरिक संवाद के माध्यमों को कम ना आँके। आज भी सबसे ज्यादा लोग समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो पर ही सब से ज्यादा विश्वास करते हैं। आज भी देशभर में एक लाख 17 हजार से अधिक समाचार पत्र पंजीकृत है और कुल पाठक 63 करोड़ से अधिक हैं जिनकी हर दिन 37 करोड़ कापियाँ वितरित होती हैं। 19.5 करोड़ प्रसार संख्या के साथ साढ़े चार हजार से अधिक हिंदी समाचार पत्र हैं। बाकी में अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भाषायी समाचार पत्र हैं। देश में तकरीबन 900 निजी चैनल हैं जिसमें 190 सरकारी चैनल हैं। इन सबके अलावा बड़ी संख्या में विदेशी और क्षेत्रीय चैनल भी हैं।

प्रिन्ट मीडिया - कैसे बनाएँ प्रभावी प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति अपने विचारों को मीडिया के विभिन्न माध्यमों तक पहुँचाने का सरल और सीधा माध्यम है। यह प्रिंट के अलावा वीडियो और ऑडियो के रूप में भी हो सकता है।

- आकर्षक शीर्षक हो। शुरुआती कुछ पंक्तियाँ ही पत्रकार को उसे देखने और पढ़ने के लिए आमंत्रित करें।
- प्रेस रिलीज में तथ्यात्मकता का ध्यान रखें। उसकी विश्वसनीयता इसी पर आधारित होती है।
- गप-शप जैसी सामग्री देने की बजाय उसमें आंकड़े भी दें, लगे कि इसमें से कोई बड़ी स्टोरी भी बन सकती है।
- वाक्य- विन्यास ठीक हों, व्याकरण की दृष्टि से दुरुस्त हो। प्रेस में भेजने से पहले किसी अन्य समझदार पार्टी के वरिष्ठ की नजर अवश्य पड़ जाए ताकि गलतियों की गुंजाइश न रहे।
- पार्टी की ओर से औपचारिक विज्ञप्ति में संबंधित नेता का सीधा बयान देना ज्यादा उपयुक्त रहता है। इससे विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
- विज्ञप्ति देते समय अपना फोन, मोबाइल और मेल आईडी देना न भूलें ताकि संबंधित विषय के बारे में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी संबंधित पत्रकार को दी जा सके।
- प्रेस विज्ञप्ति जहाँ तक हो सके, छोटी हो। एक पेज या अधिकतम दो पेज में हो।
- प्रेस विज्ञप्ति के साथ अच्छी तस्वीर संलग्न करें जो विषय से संबंधित हो और अच्छी रेसोल्यूशन की हो।
- कोई पत्रकार उसके बारे में कुछ अधिक जानना या लिखना

चाहता है तो डाटा समेत अधिक जानकारी देने से न हिचकें।

संवाददाता सम्मेलन-कब करें, कैसे करें

अपनी बात प्रभावशाली तरीके से विस्तार में कहने के लिए संवाददाता सम्मेलन (प्रेस कांफ्रेंस) महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

- जब आपके पास कोई बड़ा समाचार हो जो मीडिया में लाना चाहते हैं, तभी पत्रकार वार्ता बुलाएँ। या ऐसी स्थिति में पत्रकार वार्ता करें जब कोई बड़ी बात कहने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व या राज्य नेतृत्व द्वारा निर्देश मिला हो।
- आपके पास ऐसा समाचार हो जो ब्रेकिंग श्रेणी का हो और मीडिया में पहली खबर बनने लायक हो। बासी समाचार में किसी पत्रकार की रुचि कतई नहीं होती है। लगे कि आप कुछ नया बता रहे हैं।
- पत्रकार वार्ता उस स्थिति में भी बुलायी जा सकती है जब किसी विषय पर पत्रकारों का बड़ा समूह आपके या पार्टी के विचार जानना चाहता है। किसी विषय विशेष पर पार्टी का पक्ष जानने के लिए पत्रकारों के फोन आते हैं।
- पत्रकार वार्ता के समय का अवश्य ध्यान रखें। अधिकतम कवरेज पाने का सबसे उपयुक्त समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे होता है। यही समय पत्रकार वार्ता का आदर्श समय होता है।
- यह भी ध्यान रखें कि पत्रकार वार्ता का स्थान ऐसी जगह हो जहाँ पत्रकार आसानी से पहुँच सकें। उक्त स्थान पर समुचित व्यवस्था हो, यह भी कि किसी परेशानी से बचने के लिए वार्ता के स्थान और व्यवस्था के बारे में आपके पास प्लान बी भी

होना चाहिए।

- यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वार्ता स्थल यदि पार्टी का परिसर न हो तो निश्चत तौर पर सुव्यवस्था की चिंता करें। वार्ता से दो घंटे पहले सभी व्यवस्थाओं को गहराई से जाँच लें।
- बेहतर होगा कि पत्रकारों से वार्ता के बाद उन्हें मीडिया किट भी दें जिसमें प्रेस विज्ञप्ति, चित्र, सीडी/डीवीडीपेन ड्राइव आदि हो।
- पत्रकारों के आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनसे कौन-कौन नेता वार्ता करेंगे और उनके बैठने का क्रम क्या होगा। इस बारे में पार्टी की सामान्य गाइडलाइन का अनुसरण करें। एक या दो वक्ता प्रेस कांफ्रेंस में बोलें तो बेहतर होता है। वार्ता के बाद यदि बाइट देने की जरूरत हो तो सावधानी बरतें, ध्यान रखें कि ऐसी बात न करें जो प्रेस कांफ्रेंस में कही गयी बातों से मेल न खाती हो। इससे विवाद उत्पन्न होने की संभावना बढ़ ससती है।
- यह भी ध्यान रखें कि पत्रकार वार्ता करते समय मंच का बैकड्राप ठीक हो, सब कुछ ठीक से दिख रहा हो। ध्यान रहे, भाजपा का चुनाव चिह्न ठीक से दिखे। जिस विषय पर प्रेस कांफ्रेंस हो, वह मंच के पीछे साफ-साफ दिखे।
- सदैव ध्यान रखें कि प्रेस वार्ता करते समय कोई अच्छा वक्ता माध्यम का काम करे जो मंच के नेताओं का ठीक से परिचय कराए, यह भी कि अधिसंख्य पत्रकारों से उसका ठीक से परिचय हो ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें नाम से पुकार सके।
- यह भी ध्यान रखें कि प्रेस वार्ता की औपचारिक सूचना सभी को अच्छी तरह से मिल जाए, भले ही वे आपको अच्छी तरह

से जानते हों या मित्र हों। फोटोग्राफरों को तो कतई न भूलें।

- पत्रकार वार्ता का प्रबंधन में ध्यान रखें की अपनी बात को स्पष्टता से पत्रकारों के सामने रखें। अपनी बात संक्षिप्त और सरल तरीके से रखें। जो आपको कहना है, बिना किसी बड़ी भूमिका के उसे ही कहें।
- एक से अधिक वक्ता हों तो यह बात स्पष्ट हो कि किसको किस बात पर फोकस करना है।
- ध्यान रखें कि प्रश्नोत्तर समेत पूरी प्रेस वार्ता 45 मिनट में समाप्त हो जाए।
- प्रश्नोत्तर काल में कुशलता से आप प्रश्नों का जवाब दें। प्रेस वार्ता प्रबंधन का ये सबसे महत्त्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। आपको अनपेक्षित प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। पत्रकार ऐसा प्रश्न भी उठा सकते हैं जिसके बारे में आपने न सोचा हो। इसके लिए उसका पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) करना अच्छा होगा। इससे भी बेहतर होगा कि किसी को पत्रकार की तरह पेश कर उसके प्रश्नों का सामना करें। इससे अच्छी तरह पूर्वाभ्यास किया जा सकता है।
- यदि प्रेस वार्ता में दो लोग हों तो तय कर लें कि किसे इस तरह के जटिल प्रश्नों का जवाब देना है।
- किसी भी परिस्थिति में पत्रकारों के प्रश्नों पर उत्तेजित न हों।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - समाचार 'बाइट'

समाचार चैनलों से वार्ता करते समय अति सावधानी की जरूरत है क्योंकि यहाँ प्रिन्ट मीडिया की तरह सोच-विचार कर संशोधन करने का मौका नहीं मिलता। समाचार 'बाइट' का अर्थ है एक या दो वाक्यों की

प्रतिक्रिया जो किसी समाचार के साथ प्रसारित की जाएगी। चैनलों को बाइट देते समय इस बात का ध्यान रखें कि केवल वही कहें जिससे भाजपा की नीति अभिव्यक्त होती है। किसी खबर को पुष्ट करने के लिए पत्रकार के प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में दें।

1. पार्टी लाइन का विशेष ध्यान रखें। ऑफ दि रिकॉर्ड कतई बात न करें और न ही व्यक्तिगत विचार जैसा बयान दें।
2. 10 से 40 सेकेंड की बाइट आदर्श होती है। बाइट के नाम पर भाषण जैसा बयान अच्छा नहीं होता है।
3. भाजपा के विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करें। संबंधित विषय में ही बोलें।
4. यदि आपको संबंधित विषय के बारे में जानकारी न हो तो बोलने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को अच्छे से खंगाल लें।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - समाचार चैनलों में बहस

इसमें चूंकि अन्य दलों या विरोधी विचार के लोग सामने होते हैं इसलिए खास सतर्कता की जरूरत होती है

- चैनल पर जाने का निमंत्रण मिलने के साथ उससे यह जरूर जाने कि और कौन लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। एंगल क्या है और आपको (मुझे) क्यों आमंत्रित किया जा रहा है। टेलीफोन पर अति संक्षिप्त में अपने विचार रखें।
- यह भी जानें कि बहस कितनी समयावधि है और आपको कितना समय आवंटित किया जा रहा है। अंतिम क्षण में किसी भी तरह के बदलाव के लिए तैयार रहें। ऐसी स्थिति में संक्षिप्त कमेंट देने के लिए भी तैयार रहें।
- स्टूडियो में जाने से पहले संबंधित विषय पर गहराई से शोध

कर लें और पूरी तैयारी कर लें। मानकर चलें कि चैनल पर बहुत कम समय होता है लिहाजा वक्तव्य ऐसा दें जो पार्टी की रीति-नीति को अभिव्यक्त कर रहा हो। अपनी बात के समर्थन में ठोस उदाहरण देना न भूलें।

- चैनल पर जाने से पहले पार्टी के अन्य सहयोगियों से गहन चर्चा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि शब्दावली आपकी ही होगी।
- सजीव प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) या आनन-फानन कार्यक्रम बदलने पर अपने को बिल्कुल सहज रखकर पार्टी लाइन पर बोलें।
- चैनल पर आलोचना सुनने के लिए तैयार रहें और किसी भी सूरत में उत्तेजित न हों। आपका आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है, वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है।
- चैनल पर जाते समय पहनावे पर खास ध्यान दें, बेहतर होगा कि साथियों से सलाह ले लें। बिल्कुल सफेद या बिल्कुल काले पहनावे से बचें। स्टूडियो समय से पहले पहुँचें ताकि अपने को सामान्य कर सकें। स्टूडियो में संक्षिप्त बात करें और नये लोगों से परिचय बढ़ाएँ। किसी भी हाल में औपचारिक बहस से पहले अपने विरोधी से कतई न उलझें।
- यदि बहस की शुरुआत आपसे हो रही है तो सहजता से संबधित विषय पर पार्टी की गाइड लाइन ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखें।
- ध्यान रखें कि आपके विचार वृहद दर्शकों और श्रोताओं के बीच जा रहा है। ध्यान से दूसरे की बात सुनें और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उत्तर दें।

- एंकर या बहस में बोल रहे व्यक्ति की ओर नजर रखें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- एंकर या प्रस्तोता से कतई न उलझें। समय ज्यादा हो तो अपनी बात विस्तार से रखें। इससे आपको बढ़त मिल सकती है।
- आपकी बाडी लैंग्वेज (देहभाषा) बहुत कुछ कहती है। बहस में हल्की हंसी या मुस्कराहट आपको बड़ी बढ़त दिलाती है।
- किसी जटिल विषय पर बहस के बिंदु पर विस्तार से जानकारी मांगें। यह भी तय कर लें कि आगे आपको कैसे उसका तार्किक प्रतिवाद करना है।

मीडिया में प्रभावशाली रहने के कुछ मार्गदर्शक तत्व

आपको क्या कहना है, इससे भी जरूरी यह कि कब कहना है और क्या नहीं कहना है। मीडिया में अपनी बात रखने के लिए सदैव पूरी तरह सतर्क रहें और कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें।

- मुख्य विषयों पर अपना शोध करें। किसी भी विषय पर शोध, गहराई से अध्ययन को कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए भाजपा और सरकार की नीतियों के हर विषय पर गहरा अध्ययन होना चाहिए ताकि उसे किसी को विस्तार से बताया जा सके।
- भिन्न-भिन्न विषयों पर शोध कर अलग-अलग फाइलें रखें। उनको इस तरह से रखें ताकि खोजने पर तत्काल वे मिल सकें। विश्वसनीय सरकारी स्रोतों से एकत्रित की गयी तथ्यपूर्ण जानकारी सहेजकर रखें और उन्हें बराबर अपडेट रखते रहें। ऐसी जानकारी कंप्यूटर पर भी रख सकते हैं। धीरे-धीरे आपके पास तथ्यपरक जानकारी का खजाना इकठ्ठा हो जाएगा।

- पत्रकार के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनें। समझें कि उनका मतलब क्या है। यदि मतलब न समझ पाए हों तो फिर पूछ सकते हैं।
- तेजी से सोचें, धीमी गति से उत्तर दें (think fast] talk slow)- सुनिश्चित करें कि पत्रकार को आपकी बात पूरी तरह से समझ में आ गयी है।
- अपने उत्तर के समर्थन में ऐसे तथ्यात्मक कागज (दस्तावेज) जरूर साथ रखें। तथ्यों के माध्यम से विरोधी के तर्क को बेहतर तरीके से खारिज कर सकते हैं।
- पत्रकार को अपने नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, ई मेल देना चाहिए। अपने व्यक्तिगत और बहुत जरूरी काम के लिए उपयोग किये जाने वाले नंबर भी दे सकते हैं।
- पत्रकारों या संपादकों से निजी प्रगाढ़ता से फायदा होता है। कभी-कभी उनके साथ अनौपचारिकरूप से भी बैठना ठीक रहता है। इससे निजी प्रगाढ़ता बढ़ती है। इसी क्रम में अधिक से अधिक मीडिया से अपना परिचय बढ़ाएँ।
- एक बार की मुलाकात के बाद भविष्य में मिलने का वादा धन्यवाद से जरूर करें और आगे मिलने का क्रम जारी रहना चाहिए।
- पत्रकारों को बेहिचक यह जानने दें कि आप या पार्टी के उद्देश्य क्या हैं। आने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहते हैं तो बेशक उन्हें अपडेट कर सकते हैं।
- अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है तो उसकी सूचना मेल से अग्रिम देने में कोई हर्ज नहीं है। समय-समय पर पत्रकारों को अपडेट कराते रहें।
- इस बात के लिए तैयार रहें कि आप या पार्टी के प्रवक्ता को

कम समय की सूचना पर साक्षात्कार देना पड़ सकता है। ऐसी तैयारी न होने पर सराकारात्मक प्रचार के प्रयासों पर पानी फिर सकता है।

- यह भी कि जितना आप पत्रकार को बताते हैं, उससे ज्यादा वह समझता है। इसलिए वार्ता करते समय सावधानी बरतें।
- याद रखें कि पत्रकार के सवाल नहीं, आपके जवाब ही प्रिंट मीडिया या समाचार चैनल में सामने आते हैं। प्रश्न कितना गलत है या सही, या उलझा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं होता। पाठक, श्रोता या दर्शक को केवल आपके जवाब से संतुष्ट होना चाहिए।
- रिपोर्टर से वार्ता करते समय उससे अधिक आपको श्रोता, दर्शक या पाठक का ध्यान रखना चाहिए।

समाचार लेखन और संवाद में इन बातों का रखें ध्यान

समाचार लिखते समय सामान्य रूप से सहज अभिव्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब का ध्यान रखें। समाचार संरचना के इन पाँच तत्वों को ध्यान में रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी।

1. मीडिया को कभी अपने मन की बात अथवा अपनी रणनीति न बताएँ और ऐसा भी ना बताएँ कि आप वस्तुतः चाहते क्या हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए के आप रिपोर्टर से यह जानने की कोशिश करें कि उसके मन में क्या चल रहा है और वह समाचार को कैसे प्रस्तुत करने का विचार कर रहे हैं।
2. उन प्रश्नों का उत्तर कतई देने का प्रयास न करें जो न पूछा गया हो। रिपोर्टर यह कतई नहीं जानना चाहता है कि आप किसके विषय में बोल रहे हैं। आप प्रश्नों के जवाब तर्कपूर्ण तरीके से दें।

3. सामने वाले के प्रश्नों पर प्रश्न न दागें। संभव है कि सामने वाले का प्रश्न बिल्कुल अप्रासंगिक हो। अगर कोई सवाल संदर्भ से बाहर हो तो कोशिश करें कि संदर्भित वार्ता पटरी पर आ जाए।
4. काल्पनिक सवालों का जवाब कतई न दें। ऐसे में रिपोर्टर के सवाल पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, केवल आपके उत्तर पर ध्यान जाता है।
5. नो कमेंट्स कभी न कहें। यह भी एक प्रकार का कमेंट ही होता है। हमारी नीति है कि जो भी प्रश्न सामने आये, अगर हमसे संबंधित हो तो उसका तर्कपूर्ण जवाब दें। यह भी कि यह ऑफ रिकॉर्ड है जैसी बात करने की भूल कतई न करें। यदि आप सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कह सकते तो उसे कतई न कहें।
6. किसी रिपोर्टर से यह कतई न कहें कि आप प्रकाशित होने से पहले उसकी खबर चेक करना चाहते हैं। ऐसा कतई न करें। वार्ता करते समय कभी भी उत्तेजित न हों। भले ही किसी रिपोर्टर से आपका निजी संबंध अच्छा हो लेकिन स्टोरी या खबर देते समय पत्रकारों के बीच भेदभाव न करें।
7. कोई भी प्रेस रिलीज भेजते समय उसका सामान्यीकरण (generalization) करें। वह ऐसी हो जो संपादक को उसे प्रकाशित करने के लिए विवश कर दे।
8. कम महत्वपूर्ण मीडिया को नजरअंदाज न करें। कम्युनिटी न्यूज पेपर, केबल टीवी, व्यापारी संगठनों से जुड़े पत्र-पत्रिकाओं को भी बराबर महत्त्व दें।
9. समय का सबसे अधिक ध्यान रखें। धयान रहे कि मीडिया चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, समाचार भेजने की एक समयावधि होती है। उसके ध्यान जरूर रखें।

भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से भिन्न है। हमारी एक निश्चित विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की विशाल फौज है। हमारे पास राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने का कार्यक्रम है। लेकिन अपने जन्म से लेकर अब तक हमारी पार्टी को लगातार बदनाम करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और इस प्रकार के सत्तालोलुप लोग और कुछ अन्य जातीय और सांप्रदायिक गुट इस कार्य में लगे हैं। मीडिया की सही समझ से हम ऐसे प्रयासों को निरस्त कर सकते हैं।

मीडिया हमारे प्रति असहिष्णु है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। अधिसंख्य लोग विचारों से राष्ट्रवादी हैं और समाज में बड़ा तबका हमारे साथ है। लेकिन सालों से हमें बदनाम करने की जो कोशिश जारी है इससे निपटने का एक ही उपाय है कि हम अपने बारे में बनी अवधारणा को बदलने का प्रयास करें। इसके लिए हमें लगातार अपना प्रभाव बढ़ाना होगा और पेशेवराना अंदाज विकसित करना होगा। एक बात और। हमें किसी बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत डालने की बजाय अपने 'एजेंडा' पर काम करना चाहिए। हमें अपनी 'ब्रांडिंग' कुछ इस तरह करनी होगी जिससे हम बहस की की दिशा को बदल सकें।

12. सोशल मीडिया का सही उपयोग

सोशल मीडिया का सही उपयोग केवल एक कला नहीं अपितु एक पूर्ण विज्ञान भी है जिसे अपने अनुभव से आप और प्रभावी बना सकते हैं । यह वांछनीय है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता, जिसे किसी भी तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको सोशल मीडिया की कुछ बुनियादी समझ होनी चाहिए और इस संबंध में भाजपा के दिशानिर्देशों और कानून का पालन करते हुए सोशल मीडिया का सही प्रयोग करना चाहिए। आपके सोशल मीडिया प्रयास का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों से संपर्क बढ़ाना और उन तक सही जानकारियों का प्रसार करना है ताकि भाजपा की छवि को और निखारा जा सके और अपने मतदाता-आधार को बेहतर बनाया जा सके।

1. सोशल मीडिया - क्या और क्यों?

1. मीडिया संचार का एक साधन है और सोशल मीडिया को संचार का एक सामाजिक साधन कहा जा सकता है। सोशल मीडिया कंप्यूटर आधारित प्लेटफार्म है, जो लोगों को वर्चुअल समुदायों और नेटवर्क में जानकारी, विचारों और चित्रों/वीडियो को साझा करने या उनके आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।
2. 'सोशल मीडिया' का शब्द-विभाजन दो टुकड़ों में किया जा सकता है, 'सोशल' यानी सामाजिक और 'मीडिया'। क्योंकि यह वेब पर प्रकाशित होता है, एक बड़े जनसमूह तक संप्रेषित किया जा सकता है। यद्यपि कुछ सोशल मीडिया माध्यम व्यक्तिगत बातचीत का विकल्प भी होता है; हालांकि, इन सामाजिक संचार साधनों के विभिन्न उपयोग हो सकते हैं, अर्थात् जो कुछ भी सोशल मीडिया

पर साझा किया जाता है, उसे सार्वजनिक संचार के रूप में देखा जाना चाहिए।

3. यह किसी भी व्यक्ति को संवाद करने, संबंध बनाने, या छवि निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। यह ऑनलाइन नेटवर्किंग का एक तरीका है, इसलिए यह स्थान, घटना की तारीख और समय से बंधा नहीं है; सोशल मीडिया के माध्यम से हम 24 घंटे सातों दिन नेटवर्किंग कर संवाद स्थापित कर सकते हैं।
4. सोशल मीडिया के उपयोग में एक बड़ा अंतर यह है कि एक पारंपरिक पेपर-आधारित मीडिया और टेलीविजन में सूचना का एक बिंदु और कई दर्शक होते हैं, जबकि सोशल मीडिया के मामले में सूचना और प्राप्तकर्ता का संवाद दो-तरफा होता है।
5. हमें अधिक से अधिक लोगों तक काम से काम समय में पहुँचने के लिए और भाजपा की बेहतर छवि निर्माण और सही जानकारी आम जनता तक पहुँचने के लक्ष्य से सोशल मीडिया के उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग करने के कई अन्य लाभ हैं, उनमें से कुछ हैं:
   i. सोशल मीडिया का उपयोग ज्यादातर मामलों में नि:शुल्क है।
   ii. आपके पास एक विशाल दर्शक समूह है, जिनके पास न्यूनतम प्रयासों और कम लागत के साथ पहुँचा जा सकता है।
   iii. संवाद के लिए परंपरागत तरीकों के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है।
   iv. आप अपने लक्षित समूह के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं।
   v. आपके पास इंटरनेट आधारित एक ऐसी उपस्थिति है, जिसका प्रयोग कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है।

vi. आपको त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।

vii. आप इसका उपयोग पूरे वर्ष, सातों दिन और चौबीसों घंटे कर सकते हैं। आप अपनी राजनीतिक/सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

viii. इसका उपयोग करने के लिए किसी विशिष्ट स्थान की आवश्यकता नहीं है।

ix. कभी-कभी मुख्यधारा का मीडिया पक्षपाती रिपोर्टिंग कर हमें उचित स्थान नहीं देता है। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है।

लोग अक्सर अपनी सहूलियत के मुताबिक जानकारी प्राप्त करना पसंद करते हैं।

x. सोशल मीडिया भारतीय युवाओं पर हावी हो चुका है। यह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और अन्य विधान सभा चुनावों में स्पष्ट हो चुका है। आज की दुनिया में न केवल युवाओं तक, अपितु जन सामान्य तक सीधे पहुँचने के लिए भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेहद उपयोगी हैं।

2. कुछ लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट

हजारों सोशल नेटवर्किंग साइट हैं; जिनमें से कुछ पर लाखों लोग की मौजूदगी को देखा जा सकता और कुछ कम लोकप्रिय हैं। यहाँ सोशल मीडिया साइटों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं (बिना विस्तार में जाए), जिनका उपयोग किया जा सकता है।

(i) फेसबुक (ii) ट्विटर (iii) इंस्टाग्राम (iv) व्हाट्सएप मैसेंजर (v) टेलीग्राम (vi) यूट्यूब (vii) रेडिट (viii) KOO App (ix) अन्य।

3. सोशल मीडिया - कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी : एक मिश्रित संग्रहाक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने आम उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण किया है परंतु इसके अनुचित प्रयोग और दुरुपयोग के विरूद्ध उन्हें उत्तरदायी होने की आवश्यकता है। अब तक हम सभी जान चुके हैं कि सोशल मीडिया का अनुप्रयोग अफवाहों, गलत सूचनाओं, घृणा और झूठ फैलाने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का हमारे संवैधानिक दिशानिर्देशों और शासन की नीतियों के अनुसार, व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में स्वागत है, परंतु उन्हें भारत के संविधान और कानूनों का पालन करना आवश्यक है।

- सोशल मीडिया का प्रसार जहाँ एक ओर नागरिकों को सशक्त बनाता है वहीं दूसरी ओर कुछ गंभीर चिंताओं और परिणामों को जन्म देता है जिनमें हाल के वर्षों में कई गुना वृद्धि हुई है।
- निसंदेह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रश्न उठाने और आलोचना करने के लिए किया जा सकता है परंतु पश्चातवर्ती समस्या समाधान निर्देशों का सेट (बैक एंड एल्गोरिथम) उपयोगकर्ताओं या सरकार के नियंत्रण में नहीं है और इसमें छेड़छाड़ की संभावना रहती है जैसा कि दुनिया ने ''कैम्ब्रिज एनालिटिका'' प्रकरण में देखा है।
- पिछले कुछ वर्षों में, अपराधियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं ने कानून प्रवर्तन अभिकरणों के समक्ष नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं।
- इनमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन, अश्लील

सामग्री का प्रसार, असामंजस्यता फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा भड़काना, सार्वजनिक व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

4. मोदी सरकार ने सोशल मीडिया को बनाया उत्तरदायी

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। डिजिटल मीडिया और ओटीटी से संबंधित ये नियम आंतरिक और स्व-नियमन तंत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

- यह नियम और तंत्र प्रगतिशील, उदार और समसामयिक हैं। इन दिशानिर्देशों को नाट्यगृह (थिएटर) और दूरदर्शन (टेलीविजन) में दर्शकों की, उसे इंटरनेट पर देखने की तुलना में संख्या के अंतर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।
- यह नियम, 2021 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के अधीन शक्तियों को प्रयोग करते हुए और पहले के 2011 के नियमों का अधिक्रमण करते हुए बनाए गए हैं।
- यह नियम उच्च स्व-नियामक तंत्र के साथ उदार भाव का एक अच्छा मिश्रण हैं।
- यह देश के उन विद्यमान कानूनों और संविधियों पर काम करता है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन सामग्री पर लागू होते हैं।
- यह नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म के सामान्य उपयोक्ताओं को अपनी शिकायतों के लिए प्रतितोश पाने और उनके अधिकारों के उल्लंघन की दशा में जवाबदेही की मांग करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाते हैं।

5. नए नियमों के अधीन सोशल मीडिया से संबंधित दिशा-निर्देश

ये नियम सम्यक तत्परता से जो विहित करते हैं उसका सोशल मीडिया मध्यवर्तियों सहित मध्यवर्तियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

- यदि मध्यवर्ती द्वारा सम्यक तत्परता का पालन नहीं किया जाता है, तो उन पर संरक्षा प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- मध्यवर्ती शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेंगे और उस अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण साझा करेंगे। शिकायत अधिकारी चौबीस घंटे के भीतर शिकायत की स्वीकृति देगा और उसके प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर इसका निपटारा करेगा।
- मध्यवर्ती शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री तक पहुँच को हटाएँगे या अक्षम कर देंगे जो व्यक्तियों के गुप्तांगों को दिखाती है, ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक नग्न दिखाती है या यौन क्रिया में दिखाती है या जिसमें विकृत चित्र आदि सहित प्रतिरूपण प्रकृति की है।
- यह नियम सोशल मीडिया मध्यवर्तियों और महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं।
- सोशल मीडिया कंपनियों को कानून प्रवर्तन अभिकरणों के साथ चौबीसों घंटे समन्वय हेतु एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क अधिकारी नियुक्त करना है। ऐसा व्यक्ति भारत में निवासरत होगा।
- उन्हें एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी भी नियुक्त करना होगा और प्राप्त शिकायतों और उन शिकायतों पर की गई कार्रवाई

के विवरण का उल्लेख करते हुए एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।

- जो उपयोक्ता अपने एकाउंट को स्वेच्छा से सत्यापित करना चाहते हैं, उन्हें अपने एकाउंट को सत्यापित करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली प्रदान की जाएगी।
- ऐसे मामलों में जहाँ महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती स्वयं के निर्णय से किसी भी जानकारी तक पहुँच को बाधित कर देते हैं या पहुँच को अक्षम कर देते हैं, तो ऐसी कार्रवाई के लिए आधार और कारण बताने वाले नोटिस के साथ इसकी पूर्व सूचना उस उपयोक्ता को दी जाएगी जिसने उस जानकारी को साझा किया है।
- न्यायालय द्वारा आदेश द्वारा या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के द्वरा या उसके अभिकरणों के अधिकृत अधिकारी के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर, किसी मध्यवर्ती द्वारा किसी भी जानकारी को होस्ट या प्रकाशित नहीं करना चाहिए जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि के संबंध में किसी कानून के अधीन निषिद्ध हों।

6. डिजिटल मीडिया और ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म से संबंधित आचार संहिता

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि डिजिटल मीडिया और ओटीटी और इंटरनेट पर अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा, परंतु सम्पूर्ण

प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन रहेगी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का नियंत्रक है।

- आचार संहिता ओटीटी प्लेटफॉर्मों और ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया संस्थाओं द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को विहित करती है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिन्हें नियमों में ऑनलाइन क्यूरेट सामग्री के प्रकाशक कहा जाता है, सामग्री को पांच आयु-आधारित श्रेणियों में स्व-वर्गीकृत करेंगे।
- डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित होगा।
- स्व-विनियमन के विभिन्न स्तरों के साथ नियमों के अधीन त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।
- प्रकाशक भारत में स्थित एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
- प्रकाशकों के एक या अधिक स्व-विनियामक निकाय हो सकेंगे। ऐसे किसी निकाय का मुखिया सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या स्वतंत्र ख्यातिलब्ध व्यक्ति होगा और इसमें छह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ऐसे निकाय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास एक निगरानी तंत्र होगा।

7. डिजिटल/सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए कुछ मूल बातें

सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है के कुछ मूल बातों का ध्यान रखे ताकी सोशल मीडिया का उपयोग अधिक प्रभावी रहे ।

- सोशल मीडिया का उपयोग करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और संस्कृति के अनुरूप ही सामग्री को ही प्रेषित किया जाना चाहिए और हर तरह से शालीनता को बनाए रखना चाहिए।
- सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रमाणिक तथ्यों को ही प्रेषित करने का प्रयास होना चाहिए।
- यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपके पोस्ट न केवल सूचना प्रसारित करने में मदद करें, बल्कि स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा और आपकी छवि को सुधारने में भी सहयोगी साबित हों।
- सोशल मीडिया लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हमें इसका उपयोग अपनी नीतियों और विचारधारा के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए करना चाहिए।
- आज लोग नवीनतम समाचारों की इच्छा रखते हैं। उन्हें भाजपा और सरकार की उपलब्धियों के बारे में नई जानकारी प्रदान करके हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति के साथ ही इसका अपने पक्ष में भी उपयोग कर सकते हैं।

8. सोशल मीडिया - क्या करें, क्या ना करें

विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करते धयान रखने योग्य

कुछ सामान्य दिशानिर्देश:

i. **सोशल मीडिया में अग्रणी बनें: सोशल मीडिया पर सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से एक हैं:**

   क. ऐसे उपयोगकर्ता ज्ञान का प्रसार करते हैं,

   ख. जो अन्य लोगों को बांधकर रखते हैं, और

   ग. जो प्रभावी संवाद का नेतृत्व करते हैं।

ii. **सही जानकारी रखें:** एक सोशल मीडिया लीडर होने के लिए आपको भाजपा की नीतियों, उपलब्धियों और मुख्य मुद्दों के साथ ही अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को लेकर भी जागरूक होना होगा।

iii. **अपने श्रोतागण को जानें:** उन मुद्दों को पहचाने का प्रयास करें, जो आपके श्रोताओं को सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, जिससे आप इन लोगों का सम्मान प्राप्त कर सकें, जिनके साथ आप संवाद कर रहे हैं।

iv. **विनम्र रहें:** यह परिपक्वता का प्रतीक है और आपके श्रोता इसके लिए आपका सम्मान करेंगे।

v. **प्रेरक बनें:** यह भाजपा समूहों और गैर-भाजपा समूहों दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। सकारात्मक होने से इसमें बहुत मदद मिलती है।

vi. **विवेकपूर्ण तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दें:** त्वरित तौर पर बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया को पोस्ट न करें। प्रतिक्रिया देने से पहले किसी भी विषय की वास्तविक स्थिति समझने का पूर्ण प्रयास करें। ऐसा आचरण अपनाने के लिए निम्नलिखित

बातें महत्त्वपूर्ण हैं:

क. विषयों की तह तक जाएँ: कभी-कभी लोग अक्सर अपनी हताशा को दूर करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। किसी विशेष पोस्ट को प्रसारित करने के कारण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

ख. स्रोत पर विचार करें: कुछ लोग परेशानी पैदा करने के लिए ही इन मंचों पर आते हैं, क्योंकि इससे उन पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। ऐसे पोस्ट अक्सर विपक्षी दल द्वारा प्रेषित किए जाते हैं क्योकि वह केवल और केवल भाजपा को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी प्रतिक्रिया ऐसी हो, जिससे आपके साथ जुड़े लोग आपकी सराहना और समर्थन करें।

ग. देखी-पढ़ी हर बात पर आप विश्वास न करें: सोशल मीडिया पर बहुत सारे फर्जी पोस्ट होते हैं। किसी भी पोस्ट को अग्रेषित करने या प्रतिक्रिया देने से पहले सुनिश्चित करें कि यह एक वास्तविक पोस्ट है और नकली नहीं है।

घ. त्वरित प्रतिक्रिया का बचाव न करें: रक्षात्मक होने से आप वास्तविक मुद्दों पर अंधाधुंध पोस्ट करने को मजबूर हो जाते हैं और इस मुद्दे पर आपका अधिक समय बर्बाद हो जाता है।

vii. **ध्यान से सुनें और त्वरित प्रतिक्रिया दें:** सोशल मीडिया कभी रुकता नहीं है। अपने क्षेत्र की जनता को ध्यान से सुनें, ताकि आप उनकी वास्तविक चिंताओं को समझ सकें। विषयों को लेकर अपने वरिष्ठों को सूचित करने, स्थानीय अधिकारियों से बात कर इनमें से जितने हो सके उतनी समस्याओं का समाधान निकालकर क्षेत्र की जनता को सूचित

करें।

viii. **मार्गदर्शन लें:** जब भी आप किसी बात को लेकर आश्वस्त नहीं है, या यदि कोई मुद्दा लंबे समय से लंबित है, तो इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए पार्टी में उपयुक्त लोगों से बातचीत करें। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की स्वीकृति के बिना ऐसे विषयों पर अपने विचार प्रकट न करें।

ix. **विवाद से दूर नहीं भागें, लेकिन सावधान रहें:** सावधान रहें और भाजपा या उसके नेताओं के बारे में गलत जानकारी देने से बचें। व्यक्तिगत तौर पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। डेटा और तथ्यों के साथ शांति से अपना उत्तर दें और बात को समझें कि इस वार्ता पर कब विराम लगाना है।

x. **अपनी गलतियों को स्वीकारें:** अपनी गलतियाँ स्वीकार कर जनता का विश्वास अर्जित किया जा सकता है। हालांकि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये गलतियाँ न हों।

xi. **कभी-कभी, कुछ न करना भी अच्छा होता है:** कभी-कभी आपको ट्रोल करने वालों लोगों से उलझने से बेहतर होता है आप कोई प्रतिक्रिया न दें। याद रखें, यदि आप कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो, किचड़ छिटककर आप पर गिरता है। भले ही आपको लगे कि आपने अपने प्रतिद्वंदी को आपने तर्कों से जीत लिया है। इस तरह के संवाद की शुरुआत ट्रोलिंग को भी जीवित रखते हैं, जो वास्तव में आपके प्रतिद्वंद्वी का उद्देश्य ही होता है। ऐसे मुद्दों पर शांत रहने से मुद्दा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि लोगों का ध्यान जल्द ही किसी अन्य मुद्दे पर केंद्रित हो जाता है। 'ट्रोल' पर कुछ सामान्य सुझाव इस प्रकार हैं;

अ. ट्रोल्स को अनदेखा करें और ट्रोलर न बनें: सोशल मीडिया पर एक 'ट्रोलर' वास्तविक जीवन में एक शिकारी की तरह होता है। एक ट्रोलर आपत्तिजनक, विभाजनकारी और विवादास्पद टिप्पणी करता है। अक्सर, एक ट्रोलर स्पष्ट और भड़काऊ बयान देगा जो नए लोगों को प्रतिक्रिया देने पर बाधय कर देता है।

इ. कुछ ट्रोलर आपके लिए 'भक्त' जैसे वाक्यांशों का भी उपयोग करेंगे। इसके प्रति-उत्तर में चिढ़कर नकारात्मक शब्द के साथ प्रतिक्रिया न दें।

xii. विरोध को लेकर असहज न हों: किसी भी तरह के विरोध पर अधिक ध्यान न दें, क्योंकि आपके ऐसा करने से इस तरह की विरोधी मानसिकता मुख्यधारा में आ जाती है। आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि भाजपा एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी है और मूल्यों को लेकर दूसरों के साथ इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। इस बात का यह मतलब भी नहीं है कि उपयुक्त समय आने पर आप विपक्ष की कमजोरियों, पाखंड और अन्य दोषों का विरोध भी न करें। हालांकि, इसके लिए आपको प्रमाणिक तथ्यों का सहारा लेना चाहिए और केवल आरोप नहीं लगाना चाहिए।

xiii. गैर-जरुरी मुद्दों का बचाव करने का प्रयास न करें: सभी दलों में कुछ बुरे तत्व होते हैं। यदि हमारी पार्टी के किसी सदस्य पर कुछ निंदनीय करने का आरोप है और उसके खिलाफ स्पष्ट रूप से पर्याप्त सबूत हैं, तो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों/घटनाओं का बचाव करने की कोशिश न करें। इस परिस्थिति में मौन रहना ही सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी। आपको परिस्थिति के स्पष्ट होने या पुख्ता सबूत का

इंतजार करना चाहिए।

xvi. **अपने वरिष्ठों को जानकारी साझा करें:** सोशल मीडिया अफवाहों का बाजार भी है और यदि आप पार्टी से संबंधित किसी भी अफवाह को सुनते हैं, तो कृपया अपने वरिष्ठों (अपनी टिप्पणियों के साथ) के साथ इस जानकारी को तुरंत साझा करें।

xv. **जहाँ तक संभव है, सद्भाव को बढ़ावा दें:** एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भाजपा पूरे भारत में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। जब आप सोशल मीडिया पर भाजपा के खाते का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको भी इन राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। जिसके लिए विभाजनकारी बातों को पोस्ट करने या अग्रेषित करने या फिर किसी ऐसे ट्वीट को रीट्वीट करने से बचना चाहिए।

xvi. **व्यक्गित बातचीत को बढ़ावा दें:** सोशल मीडिया एक उपयोगी मंच है लेकिन लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जमीनी आयोजनों/गतिविधि के लिए निरंतर अवसर तलाशने का प्रयास करें, जहाँ आप लोगों से सीधे मिल सकते हैं। अपने क्षेत्र के ऐसे नेताओं की पहचान करें, जिनकी बातों का असर जनता पर होता है। ऐसे नेताओं के साथ बैठक आदि करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें।

xvii. **अधिक जानकारी के प्रसार से बचें:** एक व्यक्ति से बहुत सारे संदेश प्राप्त करना काफी कष्टप्रद होता है। विभिन्न सोशल मीडिया मंचों की सीमाओं को समझें। आपको अधिक जानकारी का प्रसार करने से सावधान रहना चाहिए, लेकिन

आपको सक्रिय रहना चाहिए। यदि आपके भाजपा हैंडल से लंबे समय तक कोई जानकारी प्रेषित नहीं की जाती, तो आप निष्क्रिय हो सकते है और परिणामस्वरुप आप लोगों के दिमाग से बाहर निकल जाते हैं।

xviii. **संक्षिप्त रहें:** लंबे पोस्टों को पढ़ना ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। कुछ चुनिंदा शब्दों में अपनी बात रखें।

xix. **जानकारी की पुनरावृत्ति से बचें:** संचार में सबसे अधिक कष्टप्रद चीजों की पुनरावृत्ति है। जो कहना हो, एक बार कहें। यदि आपको इसे जोर देने के लिए दोहराना है, तो इसके लिए पहले वाले पोस्ट का संदर्भ जरूर दें।

xx. **भाषा:** ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो आपके और आपके पाठकों के लिए सहज है।

xxi. **अपने पोस्ट को पुन: पढ़ें और संशोधित करें:** 'शेयर' या 'पोस्ट' करने से पहले अपने पोस्ट को पुन: पढ़ लें और यदि आवश्यक हो तो उसे संशोधित करें। व्याकरण, वर्तनी, तथ्यों आदि की जाँच करें।

xxii. **अपने संदेशों को परिपक्व रखें:** डींग मारना, लगातार शिकायत करना और अभद्र भाषा का प्रयोग आपको पाठकों के बीच लोकप्रिय नहीं बनाएगा।

xxiii. **यथार्थवादी रहें:** ऐसी किसी भी चीज का वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें।

xxiv. **जिस तरह का व्यवहार आप अपनी साथ चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ करें:** यदि आप असभ्य पोस्टों को पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे संदेश स्वयं भी पोस्ट न करें।

xxv. **प्रासंगिक बने रहें:** अधिकांश समूह जल्द ही अपने उद्देश्य

से भटक जाते हैं और जल्द ही उनके माध्यम से चुटकुले, अमान्य पोस्ट, पारिवारिक समाचार आदि प्रेषित किए जाने लगते हैं। यदि आप भाजपा का आधिकारिक खाता प्रयोग कर रहें है, तो उस पर पार्टी संबंधित पोस्ट ही साझा करें।

xxvi. **पोस्ट साझा करने से पहले अपने तथ्य की जाँच कर लें:** सुनिश्चित करें कि आपके पोस्ट की सामग्री, उपयोग किए गए आंकड़े और अन्य दावे सही हैं। आप बाहरी एजेंसियों/स्रोतों पर जहाँ भी निर्भर हैं, आप उनका संदर्भ जरुर देने का प्रयास करें।

xxvii. **सुसंगत रहें:** भाजपा की नीतियों से अवगत रहें और केवल जब आप उस विशेष स्थिति के बारे में आश्वस्त हो जाएँ, तभी अपनी बात रखें। तत्पश्चात् उसको लेकर बार-बार अपना विचार बदलने का प्रयास न करें।

xxviii. **अपनी टीम के साथ अनुभव साझा करें:** लगभग महीने में एक बार व्यक्तिगत तौर पर बैठक करें और अपने अनुभव साझा करें। एक दूसरे से सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु पर बात करें।

xxix. **सोशल मीडिया पोस्ट स्थायी होते हैं:** आप जो भी पोस्ट करते हैं उसके बारे में सावधान रहें क्योंकि एक बार जब यह इंटरनेट पर चला जाता है, तो यह वही रहता है। आप संदेश को हटा सकते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति जिसने इसका स्क्रीन शॉट लिया होगा, या अग्रेषित किया होगा या कॉपी किया होगा, उसके पास यह सदैव रहेगा। इस बात को लेकर सावधान रहें कि एक विचारहीन पोस्ट अक्सर आपको परेशान करता रहेगा।

xxx. गोपनीय और स्वामित्व वाली जानकारी को सुरक्षित रखें: किसी व्यक्ति द्वारा कोई गोपनीय बात यदि आपसे कहीं गई है, तो उसका सम्मान करें, ऐसे पोस्ट साझा करने से आपके समर्थक भी आपके दुश्मन बन सकते हैं, ऐसा कभी न करें।

xxxi. अपने व्यक्तिगत विचारों को हावी न होने दें: ऐसे व्यक्तिगत विचार जो पार्टी की छवि को सुदृढ़ नहीं करते हैं, उनको भाजपा के सोशल मीडिया खाते से साझा न करें।

9. कुछ सोशल मीडिया के विश्लेषण करने के माध्यम

विभिन्न संवाद, उत्पादों और सेवाओं के प्रति सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के आपस के संवाद की निगरानी के लिए सोशल मीडिया विश्लेषण महत्त्वपूर्ण हो गया है। आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भिन्न-भिन्न अभियानों के प्रदर्शन को मापने के लिए बाजार में 500 से अधिक उपकरण/माध्यम हैं।

सोशल मीडिया साइटों पर जानकारी, दृश्य, रुझान, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना तत्काल निष्पक्ष प्रतिक्रिया का एक तरीका हो सकता है। यह कभी-कभी समाज के अलग-अलग समूहों के भावनात्मक स्वरूप को समझने में मदद भी करता है।

इंटरनेट पर डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध कुछ माध्यम/उपकरण (Tools) इस प्रकार हैं; कीहोल, रियल टाइम हैशटैग (और कीवर्ड) ट्रैकिंग, ल्यूसीडीया, मेन्शन, ऑडियंस, ट्वीटरीच, फालोअर वंक, बफर, सुमाल, क्वीन्टली, साइफ, क्लाउट, वायरलवूट, एडिक्टोमेटिक, इत्यादि। इन सब के अलावा भी सोशल मीडिया के प्रबंधन और 'भविष्य में सूचना भिजने (scheduling)' के भी कई माध्यम उपलब्ध हैं। इन सब के बारे मैं जानने के लिए इससे संबंधित पुस्तक पढ़ें।

13. चुनाव प्रबन्धन

भारतीय जनता पार्टी का कार्य अपने वैचारिक अधिष्ठान और अपनी अनोखी कार्यपद्धति के आधार पर देश भर में फैले हुए करोड़ों देशभक्त कार्यकर्ताओं के मेहनत से चल रहा हैं। **1951** से **1980** से लेकर आज तक हमारी यह गौवरशाली राजनैतिक यात्रा चल रही हैं जिसमें व्यापक जनसहभाग के आधार पर, बढ़ती हुई जनभागीदारी के साथ हमारी केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार अन्त्योदय के लक्ष्य को साकार करते हुए आगे बढ़ रही है।

1951 से आज तक भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा की इस यात्रा ने समूचे देश में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक पार्टी को भी विकसित किया है एवं साथ-साथ संसदीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा भी बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।

1952 से लेकर आज तक के सभी चुनावों में हमारा जनाधार क्रमशः बढ़ रहा है। यह संभव इसी कारण से हो रहा है कि हम पार्टी को बूथस्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक हमेशा मजबूत बनाने के प्रयास करते हैं। इस कारण **1952** के पहले चुनावों में 3 सांसदों और 3.7 प्रतिशत मतों से आज 302 सांसदों की पार्टी बनने में सफल रही है। **2014** तक हमारा वोट प्रतिशत 18-19% तक रहता था जो 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़ गया एवं **2009** में 8 करोड़ वोट लेने वाली पार्टी ने 2014 में 17 करोड़ वोट प्राप्त किये। **2019** के लोकसभा चुनाव में यह वोट 23 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई दिए। यह संभव हो सकने का कारण नेतृत्व की बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ-साथ पार्टी का जनाधार भी बढ़ा एंव वैज्ञानिक तरीके से हमारे चुनाव लड़ने की पद्धति के कारण एवं सफल चुनाव प्रबन्धन के कारण हम सफल

हो पायें।

हमने केवल चुनावी सफलता ही हासिल नहीं कि पर हमने नकारात्मक वोट के स्थान पर सकारात्मक वोट पाने में भी सफलता प्राप्त की। मात्र चुनाव लड़ना ही हमारा लक्ष्य नहीं था, चुनाव में पाजिटिव मैंडेट **(Positive Mandate)** प्राप्त करना एवं साथ ही साथ 'विकास' को चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बनाने में हम सफल रहें एवं अन्य सभी राजनीतिक दलों को भी हमनें विकास पर सोचने के लिए बाध्य किया चाहे वह हमारे विरोधी हो या प्रादेशिक मुद्दों के आधार पर प्रादेशिकवाद के सहारे चुनाव लड़ने वाले दल हो।

अक्सर चुनाव जातीगत समीकरणों के आधार पर लड़े या जीते जाते थे, या फिर अनैतिक अवैध गठबन्धनों के आधार पर, लोकल एडजर्स्टमेंट के आधार पर लड़े या जीते जाते है। हमने क्रमशः चुनाव के इस चरित्र को भी बदलनें में सफलता हासिल की हैं।

हमने मात्र चुनाव लड़ने के तरीके में बदलाव लाया इतना ही नहीं बाकि हमने देश के राजनैतिक चरित्र में भी आमूलचूल परिवर्तन भी लाया है। **'Politics of Performance'** यह चरित्र का बदलाव है। हमारे किये हुए बहुत कार्यों के आधार पर हम पाजिटिव मैंडेर्ट प्राप्त करते आ रहे हैं। इस सब के साथ-साथ हमारा **चुनाव प्रबन्धन, चुनाव की तैयारी, चुनावी रणनीति, चुनावी व्यवस्थाएँ** इन सभी में हमने बड़ा बदलाव लाया हैं। जिसकी चर्चा हमारे विरोधी विचार रखने वाले विपक्षी दल भी करते हैं।

इसी **चुनाव प्रबन्धन** पर हम आज कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करने जा रहे हैं:

कब शुरू करें?

- चुनावी घोषणा के काफी समय पूर्व ही हम हमारा कार्य प्रारंभ

करते हैं। लगभग 6-7 महीनों के पूर्ण से ही या लगभग कहीं कहीं 1 वर्ष पूर्ण से ही हमारा यह चुनाव प्रबन्धन का कार्य शुरू हो जाता हैं।

विभिन्न समितियों का गठन

- चुनाव संचालन समिति (लोकसभा, विधान सभा क्षेत्रों के दृष्टी से) साथ-साथ स्थानीय निकाय आदि या स्वराज संस्थाओं के चुनाव में भी हम यह करते हैं।
- संकल्प पत्र समिति।
- प्रचार प्रसार
- मीडिया
- सोशल मीडिया
- **Call Centres** (यह कॉल सेण्टर हर विधानसभा के दृष्टि से या हर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टि से एवं विभाग एवं प्रदेश स्तर पर भी इनका गठन पूर्ण में ही करते है।
- चुनाव प्रकोष्ठ **(Election Cell)**
- चुनाव के दृष्टिकोण से विस्तारकों को तय करना।
- चुनाव का आर्थिक पक्ष देखते हुए वित्तीय प्रकोष्ठ।
- बूथ प्रबन्धन।
- प्रचार सामग्री **(Printing Material)** का विचार।
- **Digital Campaign** - चुनावों के कुल शैली में भी धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है और इसे देखते हुए हमारा यह **Digital Campaign** का विभाग भी महत्त्व रखता है।

उम्मीदवार चयन और संबंधित कार्य

- चुनाव पूर्व सर्वे।
- चुनाव पूर्ण नामांकन प्रक्रिया, चुनाव के समय पोलिंग बूथ मैनेजमेंट, चुनाव के बाद काउंटिंग की पूर्ण तैयारी, प्रत्यक्ष काउंटिंग के दिन की व्यवस्था, कॉल सेंटर के माध्यम से मतदान के दिन (Polling Day) पर कार्यकर्ताओं को सुबह मैसेज देकर जगाने की व्यवस्था आदि सभी महत्त्व के बिंदु हैं।
- प्रत्याशी चयन तो एक महत्त्व का मुद्दा रहता ही हैं पर प्रत्याशियों की घोषणा के तुरंत बाद इनकी प्रदेश स्तर पर या संभाग, विभाग स्तर पर बैठक लेकर चुनाव प्रक्रिया, नियम, आर्थिक बातें, इलेक्शन एजेंट्स के करणीय कार्य, इलेक्शन एकाउंट्स, नामांकन की प्रक्रिया की दृष्टि से कानून इत्यादि की जानकारी, नामांकन प्रक्रिया में सहयोग, प्रचार कार्य में करणीय। अकरणीय क्या-क्या रहता हैं इस पर भी विस्तार से चर्चा एवं आवश्यक निर्देशों की जानकारी एवं पालना यह भी महत्त्वपूर्ण है।

आधार का विस्तार

- वोटर्स का पंजीयन, जांच, नवमतदाताओं का नाम वोटर्स तालिका में भर्ती करवाना, ये सब बातें भी अति-महत्त्वपूर्ण रहती हैं।
- विस्तारक योजना, विस्तारकों के वर्ग, करणीय-अकरणीय की जानकारी, रहने की व्यवस्था, कार्य का रेगुलर मॉनिटरिंग (पूछताछ), एवं चुनाव समाप्ती के बाद अनुभव कथन का कार्यक्रम यह भी ओवरऑल चुनाव प्रबन्धन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

- चुनावी तिथियों की घोषणा के पूर्ण व्यापक स्तर पर मतदाता पंजीयन, फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाना, फर्स्ट टाइम वोर्टस के नाम जुड़वाना, नवमतदाता सम्मेलन करवाना।
- बूथ पर करणीय 22-24 कार्यों की सूची पहुँचाना, बूथ समिति, पेज समिति, इन बातों का भी महत्त्व रहता हैं।
- लोकसभा/विधानसभा की दृष्ट से **Whatsapp** ग्रुप बनाना। यह कार्य भी महत्त का होता है।
- बूथ पर **key voters** की जानकारी।
- लोकसभा/विधानसभा का **socio & political profile** तैयार करना, **issues** के आधार पर notes तैयार करना, कहीं-कहीं पर **local constituency notes** तैयार करना आदि बातें भी महत्त्व की है।
- आजकल चुनाव पूर्ण मतदाताओं की राय जानने के कई नए-नए तरीके निकले हैं। **Crowd sourcing** भी एक महत्त्व का अंग हैं। जिन केन्द्रों पर एवं अन्य स्थानों पर 'लोकमंच' टाइप एक्टिविटी के माध्यम से संकल्प पत्र के दृष्टि से जनता की राय जानने के कार्यक्रम भी करना आवश्यक रहता है।
- जाति-बिरादरी के नेताओं से चुनाव पूर्ण मिलने का, **outreach** का कार्यक्रम भी होना चाहिए।
- युवा मतदाता, महिला मतदाता, एससी-एसटी, ओबीसी, पूर्ण सैनिक, सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक इन समाज के विभिन्न घटकों तक पहुँचने के प्रयास 6 माह पूर्ण ही चालू करने पड़ते हैं। इसमें पार्टी के मोर्चों की भूमिका, प्रकोष्ठों की भूमिका महत्त्पूर्ण हैं।
- पार्टी में शामिल करने का अभियान गणमान्य नेता, अन्य दलों

के नेता, प्रबुद्धजनों, पूर्ण सेना या प्रशासनिक व न्यायिक सेवा के अधिकारी आदि सभी को पार्टी में शामिल करने का अभियान की रचना करनी।

- प्रबुद्ध जन संवाद, जातिगत सम्मेलन, twitter के एक्टिविस्ट का सम्मेलन, लेखक, पत्रकार आदि से संपर्क।
- पोस्टल बैलर्ट, दिव्यांगों का मतदान, अन्य स्थानों पर कामकाज हेतु जाने वाले मतदाताओं का मतदान, भाषाई-धार्मिक समूहों का मतदान इन पर पहले से ही ध्यान देने की आवश्यकता रहती है।
- हर विधानसभा/लोकसभा स्तर पर एक प्रभारी, एक संयोजक एवं अन्य **१२/१३** कार्यकर्ताओं की टोली बनाना।
- सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी संपर्क यह चुनाव पूर्ण (6-7 महीनों) में करने वाला महत्त्व का कार्य हैं। लाभार्थी संपर्क, लाभार्थी सम्मेलन, सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यूज बातों का भी लाभ होता है।

चुनाव के बाद

- चुनाव के पश्चात सभी कैंडिडेट्स के अकाउंट का चुनाव आयोग में जमा होना यह भी (समयानुसार) महत्त्व का है।
- चुनाव परिणामों के पश्चात जो हारे हुए प्रत्याशी रहते हैं इनकी समीक्षा बैठक करना भी आवश्यक रहता हैं।

भारतीय जनता पार्टी

6 ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002

फोन : +91 11 23500000, फैक्स : +91 11 23500190

Email: training@bjp.email **URL:** http//library.bjp.org/

978-93-95231-03-9